वार्षिक रिपोर्ट
2009-2010

Annual Report
2009-2010

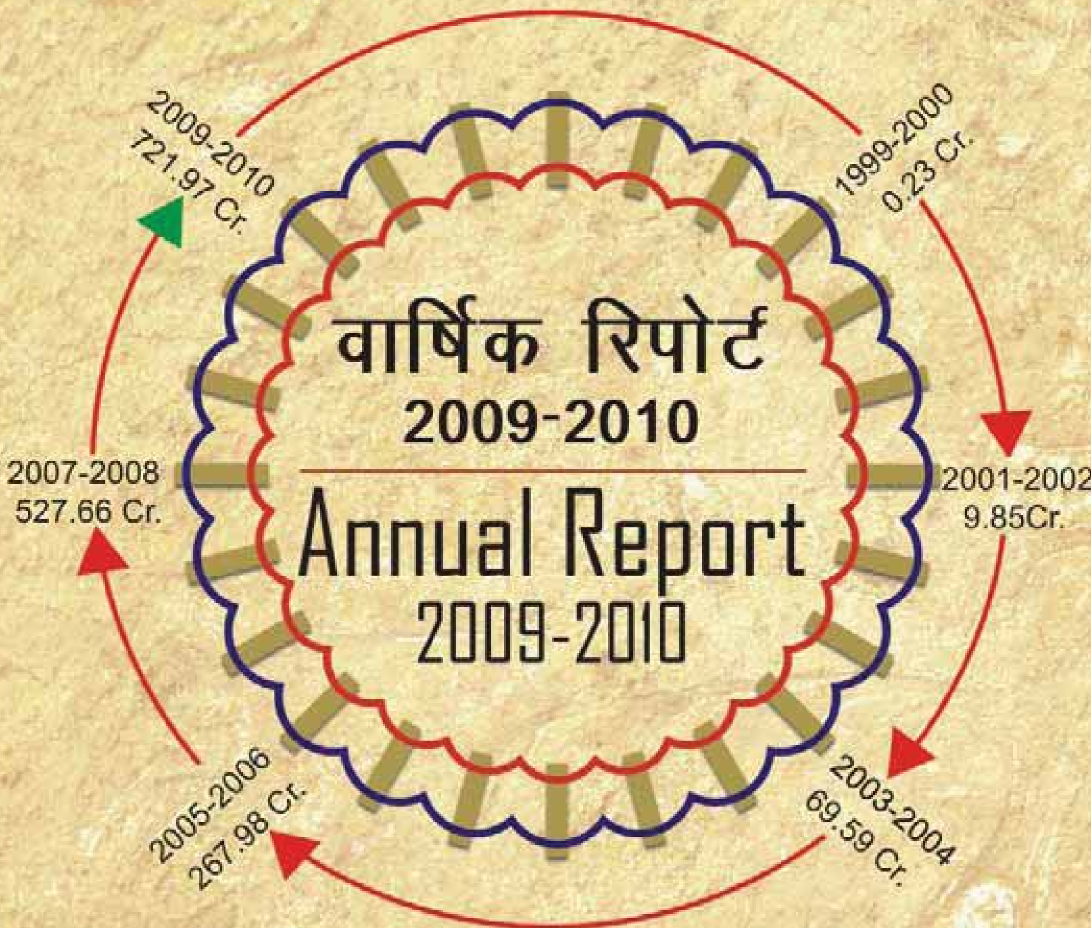

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

भारतीय रेलवे पर स्थापित फूड प्लाजा
Food Plaza over Indian Railways

आईआरसीटीसी टूरिज्म वेबसाइट : www.railtourismindia.com
IRCTC Tourism Website : www.railtourismindia.com

एक ही स्थान पर आपकी यात्रा का समाधान
Your one Stop Travel Shop.

कुल आय (करोड़ रु. में) Total Income (Rs. in Crore)

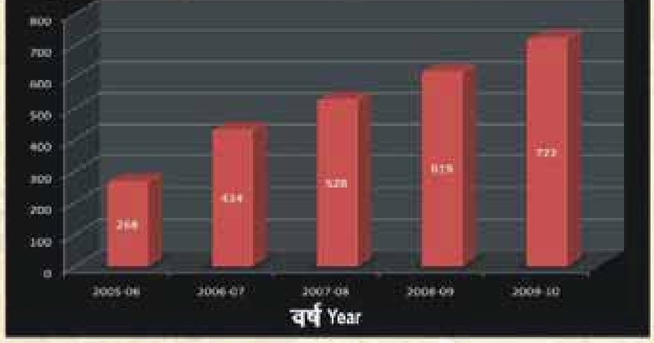

सकल लाभ (करोड़ रु. में) PBDIT (Gross Margin) (Rs. in Crore)

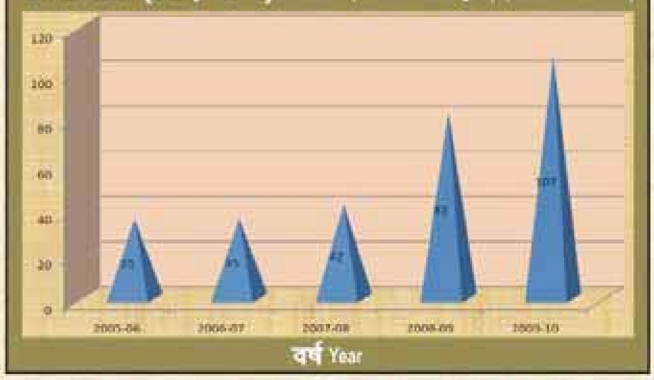

शुद्ध लाभ (कर के बाद लाभ) (करोड़ रु. में)
Net Profit (Profit after Tax) (Rs. in Crores)

कुल आय का वितरण सभी व्यापार खण्डों में – 2009–10
Distribution of Total Income Across Business Segments-2009-10

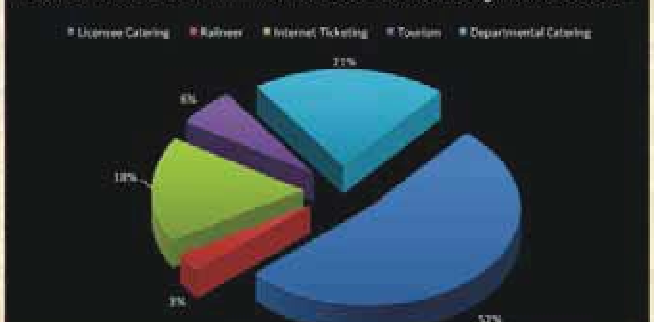

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

निदेशक बोर्ड Board of Directors

श्री विवेक सहाय
अध्यक्ष
Shri Vivek Sahai
Chairman

श्री राकेश कुमार टंडन
प्रबंध निदेशक
Shri Rakesh Kumar Tandon
Managing Director

डॉ. नलिन सिंघल
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
Dr. Nalin Shinghal
Director (Tourism & Marketing)

श्री विनोद अस्थाना
निदेशक (खानपान सेवाएं)
Shri Vinod Asthana
Director (Catering Services)

श्री विश्व रंजन गुप्त
निदेशक (वित्त)
Shri Vishwa Ranjan Gupta
Director (Finance)

श्री नरेश सलेचा
सरकारी निदेशक
Shri Naresh Salecha
Government Director

श्रीमती मनी आनन्द
सरकारी निदेशक
Smt. Mani Anand
Government Director

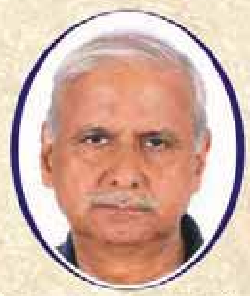

श्री जगदीप एस. छोकर
स्वतंत्र निदेशक
Shri Jagdeep S. Chhokar
Independent Director

श्री आलोक शिवपुरी
स्वतंत्र निदेशक
Shri Alok Shivapuri
Independent Director

श्री आर. एन. भारद्वाज
स्वतंत्र निदेशक
Shri R. N. Bhardwaj
Independent Director

श्री आर. के. अग्रवाल
स्वतंत्र निदेशक
Shri R. K. Agrawal
Independent Director

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी – I)

कॉरपोरेट कार्यालय : 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001.
फोन : 011-23311263-64 (ईपीबीएक्स), फैक्स : 011-23311259

वार्षिक रिपोर्ट, 2009–2010

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी – I)

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठ सं.
अध्यक्ष का संबोधन	1 – 3
निदेशकों की रिपोर्ट	4 – 17
निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध	
1. अनुबंध–I : प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	18–25
2. अनुबंध–II : ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी सम्मेलन, विदेश विनियम अन्य एवं व्यय आदि।	26–27
3. अनुबंध–III : कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट	28–34
4. अनुबंध–IV : निगम शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	35
लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट और लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध	36–39
31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	40
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा	41
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण	42
तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा के लिए संलग्न अनुसूचियाँ	43–50
लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	51–71
तुलन–पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	72
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ	73–74
दस वर्ष की वित्तीय उपलब्धियां	75

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

श्री विवेक सहाय,
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं सदस्य यातायात

प्रबंध निदेशक

श्री राकेश कुमार टंडन

कार्यरत निदेशक

श्री नलिन सिंघल,
निदेशक (पर्यटन व विपणन)

श्री विनोद अस्थाना,
निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री वी. आर. गुप्त
निदेशक (वित्त)

सरकारी निदेशक

श्रीमती मनी आनन्द
कार्यपालक निदेशक,
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय

श्री नरेश सलेचा
कार्यपालक निदेशक (टीएण्डसी)
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीप एस. छोकर

श्री आलोक शिवपुरी

श्री आर. एन. भारद्वाज

श्री आर. के. अग्रवाल

बैंकर्स

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब ने ानल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहायक
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्रा बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक लिमिटेड
17. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. बैंक ऑफ राजस्थान
19. यस बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय
9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

कॉरपोरेट कार्यालय का भाग
दूसरी व पांचवीं मंजिल, एसटीसी बिल्डिंग, जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय :
नया परिचालन केन्द्र, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय, आईआरसीए कॉम्प्लैक्स, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली–110055.

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :
उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टे ान एरिया, नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली–110041.

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :
लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स के दक्षिण में, खगुल, दानापुर (बिहार)–801105

लेखा–परीक्षा समिति :

अध्यक्ष
श्री आर. एन. भारद्वाज

सदस्य
श्री विनोद अस्थाना,

श्री जगदीप एस. छोकर,

श्री आलोक शिवपुरी,

श्री आर. के. अग्रवाल,

कंपनी सचिव :
श्री राकेश गोगिया

सांविधिक लेखा–परीक्षक :
मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
नई दिल्ली

जोनल कार्यालय

उत्तर जोन :
जिंजर रेलयात्री निवास,
भू–तल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड,
नई दिल्ली–110001

पूर्व जोन I एवं II :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3, कोयलाघाट स्ट्रीट,
कोलकाता–700 001

पश्चिम जोन :
दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग,
सैन्ट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई–400 001

दक्षिण जोन :
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड, चेटपेट,
चेन्नै–600 034

दक्षिण–मध्य जोन :
दूसरी मंजिल, एम श्री क्लासिक कॉम्पलैक्स,
सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद – 500 071

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक

अध्यक्ष का संबोधन

आईआरसीटीसी के प्रिय शेयरधारकगण,

कॉरपोरेशन की ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

आपके निगम ने वर्ष 2009–10 के दौरान प्रभावशाली परिचालनिक और वित्तीय स्तर पर प्रगति की है। इसकी कुल आमदनी 721.97 करोड़ रु. तक पहुंच गयी है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 16.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रेल राजस्व में 82.28 करोड़ रु. का योगदान दिया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.50 प्रतिशत अधिक है। निगम ने 63.05 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.6 प्रतिशत अधिक है। इसने 12.61 करोड़ रु. लाभांश की सिफारिश की है जो पुनः 35.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शाता है। इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश पे आउट 63.05 प्रतिशत है।

निगम ने अपने ग्राहकों के चालू बिल्स से 85 प्रतिशत भुगतान वसूल किया है जो एक स्वस्थ वाणिज्यिक निष्पादन का संकेत है। वर्ष के अंत तक कुल बकाया 232 करोड़ था। जिसमें से 144 करोड़ रेलवे से प्राप्त किए जाने थे।

निगम ने भारतीय रेल के 1008 स्टेशनों और 350 जोड़ी गाड़ियों में अपनी सेवाएं प्रदान करके राष्ट्रव्यापी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसने 2009–10 के दौरान चलाई गई 18 अतिरिक्त नई गाड़ियों में खानपान सेवा की व्यवस्था की है और पहली बार अनिवार्य रूप से दूरंतो गाड़ियों के गैरवातानुकूलित शयनयान कोच में खानपान की व्यवस्था करने का चुनौती भरा काम किया है जबकि पहले राजधानी शताब्दी गाड़ियों के वातानुकूलित कोचो मे ही यह कार्य किया जाता था। वर्ष 2009–10 के दौरान 9 नई दूरंतों गाड़ियां चलाई गई हैं। भोजन के क्षेत्र में आईआरसीटीसी ने वर्ष के दौरान 13 नए फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां खोली है जिससे इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई है। कम कीमत में स्थानीय व्यंजनों वाला एक समग्र भोजन यात्रियों को उपलब्ध कराने हेतु 25 जन आहार के आउटलेट खोले गए हैं।

वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय ने खानपान नीति की समीक्षा करना आरंभ किया था और हाल ही में 21 जुलाई, 2010 को रेल मंत्रालय ने नई खानपान नीति 2010 जारी की है। संशोधित नीति में उल्लेख है कि फूड प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों का छोड़कर सभी खानपान सेवाओं का प्रबंधन क्षेत्रीय रेले करेंगी। नई चुनौतियों के साथ महत्वपूर्ण अवसर भी आते हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में आईआरसीटीसी की प्रबल संभावनाएं हैं और इसे देश की बड़ी पर्यटन कंपनी के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। इसे अपनी गतिविधियों को विस्तृत करने और राजस्व को कायम रखने के लिए औद्योगिक और संस्थानिक खानपान व्यापार के अलावा खानपान के क्षेत्र को बढ़ाना होगा

रेलनीर के बोतलबंद पीने के पानी के दो संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) में चलाए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान नांगलोई और दानापुर संयंत्र का रेलनीर उत्पादन क्रमशः 3.19 करोड़ और 2.23 करोड़ बोतल रहा जबकि इनकी स्थापित क्षमता क्रमशः 3.34 करोड़ और 2.45 करोड़ बोतल थी। वर्ष के दौरान दानापुर संयंत्र की क्षमता 5500 कार्टन प्रतिदिन से बढाकर 8500 कार्टन प्रतिदिन कर दी गई है।

पालूर और अंबरनाथ में दो नए संयंत्र लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पालूर (तमिलनाडु) में रेलनीर संयंत्र का निर्माण कार्य अग्रिम चरण में है और शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। अंबरनाथ संयंत्र के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और निविदा प्रक्रिया कुछ ही महीनों में शुरू होने वाली है।

निगम ने समुन्नत फीड बैक प्रक्रिया शुरू करके ग्राहकों को बेहतर संतुष्टि देने पर ध्यान केन्द्रित किया है। स्वंतत्र तीसरे पक्ष द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ग्राहक शिकायत प्रबंधन से भोजन और संरक्षा आडिट की रेटिंग तथा ग्राहक संतुष्टि में लगातार सुधार दृष्टिगोचर होता है। अधिकांशतः रेटिंग 80 प्रतिशत से ऊपर रही है। इससे आईएसओ प्रमाणन और एचएसीसीपी प्रमाणन में भी प्रगति हुई है।

वर्ष के दौरान निगम की पर्यटन गतिविधियों में बहुत वृद्धि हुई है। पर्यटकों की संख्या में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई गाड़ी/कोच चार्टर में 55 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। भारत दर्शन गाड़ियों की संख्या में 30 प्रतिशत और हिल चार्टर में 44 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है। निगम ने ''ट्रावेल टू लर्न स्कीम'' के तहत केन्द्रीय विद्यालय के साथ और सर्वशिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु सरकार के साथ विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक टुअर का सफल गठबंधन किया है। निगम ने सफलतापूर्वक अपनी सुपर लग्जरी गाड़ी ''महाराजा एक्सप्रेस'' की शुरूआत की है। यह गाड़ी देश की सर्वोत्तम लग्जरी गाड़ी के रूप में चुनी गई है।

विभिन्न क्षेत्रों में निगम के उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए –

- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए समझौते के ज्ञापन मूल्यांकन हेतु 'उत्कृष्ट' आंका गया।
- सीएनबीसी आवाज– ट्रावेल पुरस्कार सुश्री शैलजा, माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा ई–टिकटिंग के लिए – भारतीय रेल पुरस्कार 2009 को पुर्नपरिभाषित करने के लिए विशेष अनुशंसा।
- 139–रेल संपर्क के लिए 2009 में सर्वाधिक नवीन परियोजना के लिए पीसी क्वेस्ट ने 'उत्कृष्ट' से नवाजा है।
- गुणवत्ता के अर्थशास्त्र पर क्यूसीआई डी एल शाह राष्ट्रीय पुरस्कार– भोजन संरक्षा और गुणवत्ता के अर्थशास्त्र पर हमारी पहल के लिए ''क्यू सीआई–डी एल शाह राष्ट्रीय पुरस्कार डॉ. मसाकी इमाई, जापान के क्वालिटी गुरू द्वारा प्रदान किया गया।
- वर्ष 2010 के लिए द ग्रैंड ज्यूरी आफ द बिलियन्थ अवार्ड साउथ एशिया–एस एम एस 139 रेलवे पूछताछ को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र।
- लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार–2009 श्री सलमान खुर्शीद, निगम मामलों के माननीय राज्यमंत्री द्वारा मध्यम श्रेणी के सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के तहत प्रथम पुरस्कार।
- महाराजा एक्सप्रेस के लिए सीएनबीसी आवाज ट्रावेल अवार्ड 2010 – सर्वश्रेष्ठ लग्जरी गाड़ी का पुरस्कार माननीय केन्द्रीय पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा द्वारा प्रदान किया गया।
- इंटरनेट टिंकटिंग के लिए इंडियन प्राइड अवार्ड–गोल्ड श्री प्रणव मुखर्जी माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।
- दि स्कॉच्स – एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली के लिए नियंत्रक, प्रमाणन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

कॉरपोरेशन की ई–टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय वेबसाइट बनी हुई है जिसपर प्रतिदिन एक करोड़ से अधिक लोग संपर्क करते हैं। यात्रियों की संख्या के हिसाब से इंटरनेट टिकटिंग में 60% से अधिक की और टिकटों के मूल्य की दृष्टि से 50प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसने किसी एक दिन में सर्वाधिक टिकटों की संख्या के हिसाब से 3 लाख 7 हजार टिकटों की बिक्री की है। मार्च, 2010 के दौरान इसने प्रतिदिन औसतन 2 लाख 50 हजार टिकटों की बिक्री की।

एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली को कई पुरस्कार मिले हैं और इस पर प्रतिदिन 7 लाख से ज्यादा पूछताछ की जाती हैं। इसने एसएमएस सेवा के जरिए गाड़ी चालन और पीएनआर संबंधी सूचनाएं मुहैया करवाई है। वर्ष 2009–10

के दौरान इसने एक करोड़ से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2010 के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत कॉरपोरेशन के लेखा परीक्षित लेखों की पूरक लेखा परीक्षा जांच की और उस पर शून्य टिप्पणी दी है।

आईआरसीटीसी सार्वजनिक उद्यम विभाग भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करता रहा है।

मैं अपनी तथा कॉरपोरेशन के निदेशक मंडल की ओर से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश जी को और अंशकालिक निदेशक श्री अशोक कुमार और श्री सुनील माथुर को उनके अमूल्य मार्गदर्शन और सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही कॉरपोरेशन के बोर्ड में नवनियुक्त निदेशक श्रीमती मनी आनन्द का स्वागत करता हूँ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं, शेयरधारकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कॉरपोरेशन में विश्वास बनाए रखा। मैं, भारत सरकार, रेल मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलों के प्रति उनके अमूल्य मार्गदर्शन और सहायता के लिए भी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं कॉरपोरेशन के समग्र विकास और वृद्धि में कर्मचारियों तथा संबद्ध एजेंसियों की प्रतिबद्धता, योगदान और कर्त्तव्यनिष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा।

साथ ही, मैं यह दोहराना चाहूँगा कि मेरे सहयोगियों की प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा और कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कॉरपोरेशन आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होगा।

धन्यवाद,

हस्ता.
(विवेक सहाय)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 सितम्बर, 2010

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकों,

निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉरपोरेशन के लेखा –परीक्षित लेखा के साथ ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है

1. वित्तीय निष्पादन :

वर्ष 2009–10 के दौरान, कॉरपोरेशन ने कुल 721.97 करोड़ रु. की आय प्राप्त की जबकि 2008–09 में 618.77 करोड़ रु. की आय प्राप्त की गई थी इससे 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इंटरनेट टिकटिंग में पर्याप्त उछाल (74.81 करोड़ रु. से 112.07 करोड़ रु. तक) और पर्यटन गतिविधियों (27.94 करोड़ रु. से 44.73 करोड़ रु. तक) के कारण प्राप्त हुई थी।

इंटरनेट टिकटिंग में पर्याप्त उछाल अच्छे मार्केटिंग प्रयासों, उन्नत इन्फ्रास्ट्रक्चर और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण देखी गई थी। पर्यटन कारोबार में उछाल विकासशील पर्यटन व्यापार पर दृष्टि केन्द्रित करने के कारण देखा गया।

2008–09 में 46.50 करोड़ रु. की तुलना में 2009–10 के दौरान 63.05 करोड़ रु. के शुद्ध लाभ प्राप्त किए गए। यह राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के कारण अर्जित हुआ। कर्षण प्रभार (हॉलेज चार्जिज) के रूप में 30.00 करोड़ रु. की रकम प्रदान की गई है, जैसी कि पिछले वर्ष के दौरान प्रदान की गई थी। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेशन की आरक्षित निधि और अधिशेष 142.76 करोड़ रु. रहा। कॉरपोरेशन की शुद्ध मालियत पिछले वर्ष के 114.46 करोड़ रु. से बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 162.76 करोड़ रु. हो गई।

कॉरपोरेशन द्वारा अर्जित लाभ को निम्नलिखित रूप से विनियोजित किया गया है :

(करोड़ रु. में)

विवरण/समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
कर पूर्व लाभ	94.76	73.85
कर के लिए प्रावधान	34.52	27.42
फ्रिन्ज लाभकर के लिए प्रावधान	–	0.65
आस्थगित कर	(2.81)	(0.72)
करोपरांत लाभ	63.05	46.50
अग्रानीत लाभ	9.54	8.93
पूर्व वर्षों के लिए कर समायोजन		
पिछले वर्ष के लिए आस्थगित कर	शून्य	शून्य
आरक्षित निधि में अंतरण	45.00	35.00
लाभांश (लाभांश कर सहित)	14.75	10.89
तुलन–पत्र के लिए अग्रानीत लाभ	**12.84**	**9.54**

2. रेलवे के राजस्व में अंशदान

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष के 76.54 करोड़ रु. की राशि की तुलना में 82.28 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में कर्षण प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेंस फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाभांश शामिल होते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के साथ राजस्व की

भागीदारी **17 जनवरी, 2007** के समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार की गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 6011 करोड़ रु. मूल्य की टिकटें बुक की गईं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 3889 करोड़ रु. मूल्य की टिकटें बुक की गईं थी।

3. कारोबार का निष्पादन :

चल केटरिंग– लाइसेंसधारक :

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेशन 262 रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं का प्रबंधन संभाल रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

1. 14 राजधानी
2. 14 शताब्दी
3. 16 जनशताब्दी
4. 16 संपर्क क्रांति
5. 202 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

88 गाड़ियों पर (बिना रसोई यान वाली) भी लाइसेंसी द्वारा ट्रेन साइड वेंडिंग सेवा प्रदान की जा रही है। विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का विवरण नीचे ग्राफ में दिखाया गया है :–

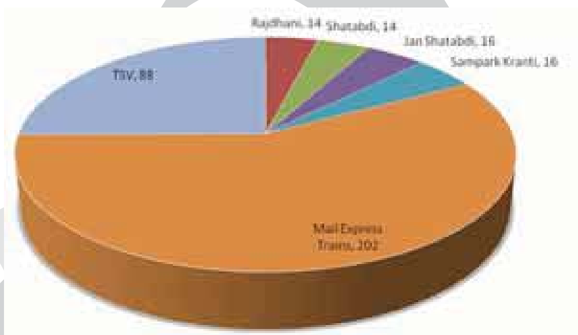

वर्ष 2009–10 के दौरान रेल मंत्रालय के दिनांक 14.07.2009 के पत्र के अनुसार नीति निर्देशों के कारण सभी बड़ी इकाइयों के निविदा का कार्य रोक दिया गया था।

स्थायी केटरिंग–लाइसेंसधारक :

वर्ष के दौरान 13 फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयां चालू की गयी। इससे भारतीय रेल पर कुल फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयों की संख्या 78 हो जाती है। प्लेटफार्मो पर कुकिंग को हतोत्साहित करने के लिए नई अवधारणा के रूप में 22 सेल किचन खोले गए हैं। राज्य दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए 83 दूध के स्टाल स्टेशनों पर खोले गए हैं। भारतीय रेल पर अब दूध के स्टालों की कुल सं. 699 हो गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय रेल के 1008 स्टेशनों पर आईआरसीटीसी 805 आटोंमेटिक वेंडिंग मशीन, 196 रिफ्रेशमेंट रूम, 2513 स्टाल, 3387 ट्राली/खोमचा 1271 बुक स्टाल/काउंटरों का प्रबंधन कर रही है।

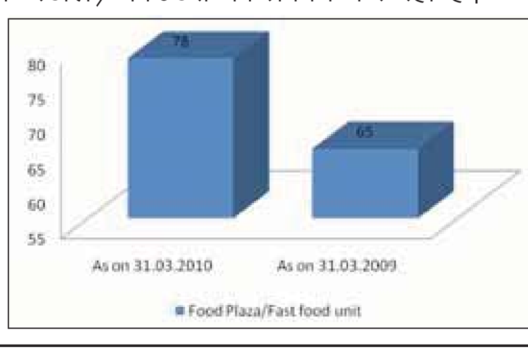

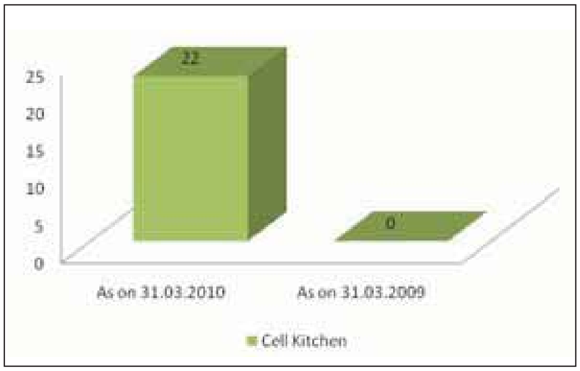

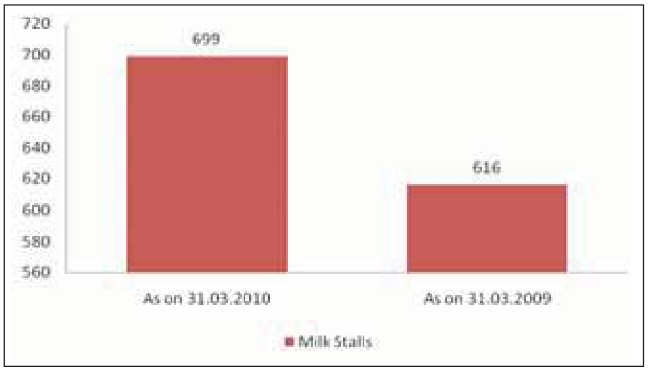

विभागीय केटरिंग

चल खानपान : 31.03.2010 तक 6 राजधानी, 9 दूरंतों और 8 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां परिचालन में थीं। अक्तूबर, 2009 से अहमदाबाद राजधानी गाड़ी को विभागीय परिचालन के तहत लिया गया। वर्ष 2009–10 के दौरान नयी चलाई गई सभी 9 दूरंतों गाड़ियां विभागीय परिचालन के तहत ली गयी। विभागीय परिचालन के अंतर्गत 12 गाड़ियों की ट्रेन साइड वेंडिंग सेवाएं भी थी।

स्थिर खानपान :– वर्ष के दौरान विभागीय परिचालन के तहत 385 स्टाल और 227 ट्रालियां मिलाकर कुल 647 स्थिर इकाइयां रही।

जन आहार :– सामान्य यात्रियों को कम कीमत में समग्र क्षेत्रीय व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 25 जन आहार आउटलेट भी खोले गए।

वर्ष 2009–2010 के दौरान विभागीय खानपान को 74.75 करोड़ रु. की हानि निम्न कारणों से हुई।

क. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण सामग्री पर अधिक लागत।

ख. निम्न के कारण एच आर की लागत में वृद्धि होना–

1. वार्षिक वेतन में वृद्धि और
2. जन आहार आउटलेट और दूरंतो गाड़ियों की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी

बकाया देय राशि

बकाया देय राशि की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

विवरण	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
रेलवे	144.16	154.71
गैर रेलवे	88.16	85.01
जोड़	**232.32**	**239.72**

वर्ष के दौरान, फुटकर देनदारी 239.72 करोड़ रु. से घटकर 232.32 करोड़ रु. हो गई।

पर्यटन गतिविधियां

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित कारोबार किया :

- **टुअर पैकेज** : 2009–2010 के दौरान कुल 43,258 यात्रियों ने आईआरसीटीसी टुअर पैकेज का उपयोग किया (रेल टुअर पैकेज और सड़क टुअर पैकेज) जबकि पिछले वर्ष 31,943 यात्रियों ने इसका उपयोग किया था।

- कॉरपोरेशन ने 248 ट्रेन/कोच चार्टर्स शुरू किए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 159 चार्टर्स शुरू किए गए थे।
- वर्ष के दौरान 57 भारतदर्शन – विलेज ऑन व्हील्स ट्रिप चलाए गए इन पर 22,621 व्यक्ति बुक किए गए, जबकि पिछले वर्ष 47 ट्रिप चलाए गए थे जिन पर 18,801 व्यक्ति बुक किए गए थे।
- वर्ष के दौरान हिल रेलवे पर 36 चार्टर्स कोच चलाए गए जबकि पिछले वर्ष के दौरान 25 चार्टर्ड कोच परिचालित किए गए थे।

महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी

अपने तीसरे सीजन के दौरान, इस रेलगाड़ी ने यात्रियों की संख्या में लगभग 110 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए लोकप्रियता प्राप्त की है। एक बहु–तरफा मार्केटिंग रणनीति आगामी सीजन के लिए शामिल की गई है।

भारत दर्शन

वर्ष के दौरान आई.आर.सी.टी. सी. द्वारा सभी भारत दर्शन रेक (पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन और दक्षिण जोन) परिचालित किए गए और इनकी मार्केटिंग की गई। कुल 57 ट्रिप चलाए गए जिसमें 22, 621, यात्रियों ने यात्रा की।

शैक्षिक टुअर्स

7,829 विद्यार्थियों और शिक्षको ने इस सुविधा का लाभ उठाया जबकि, पिछले वर्ष 22,801 विद्यार्थियों और शिक्षको ने विभिन्न गंतव्यो की यात्रा की थी। दिल्ली सरकार द्वारा इस कार्य को विभिन्न राज्य पर्यटन निगम आदि को सौपे जाने के कारण इसमें कमी आई है।

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने अपनी योजना 'ट्रावेल–एण्ड रन' के तहत शैक्षिक दौरा शुरू करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु सरकार के साथ सर्वशिक्षा अभियान के तहत पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक टुअर आयोजित करने के लिए समझौता किया है। इसमें 3,272 बच्चों ने भाग लिया।

महाराजा एक्सप्रेस

चालू वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी गाड़ी–'महाराजा' एक्सप्रेस का निर्माण किया गया। अभ्यास के तौर पर इस गाड़ी के दो फेरे–6 से 13 और 14 से 20 मार्च, 2010 को किए गए और 20 मार्च 2010 को माननीय रेलमंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने कोलकाता में इसे औपचारिक रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया।

सेवा गुणवत्ता और सुधार

आई.आर.सी.टी.सी अपने उत्पादों और सेवाओं को उन्नत बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसके लिए एक बहु आयामी सेवा निगरानी और सुधार प्रणाली लागू की है। इसमें अलग–अलग ग्राहकों से फीड बैक ली जाती है और ग्राहकों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जाता है।

इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली :

वर्ष 2009-10 के दौरान, आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in के माध्यम से बुक की गई टिकटों की संख्या पिछले वर्ष के दौरान बुक की गई 4.41 करोड़ टिकटों की तुलना में 7.20 करोड़ टिकटों तक हो गई है। बुक की गई टिकटों का मूल्य पिछले वर्ष के 3889 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष के दौरान 6.,011 करोड़ रु. तक हो गया है। टिकटों की बुकिंग ने प्रतिदिन 3,07,214 टिकटों की ऊंचाई को छुआ है। टिकट बिक्री 60 लाख टिकट प्रतिमाह से अधिक कई महीनों तक रही। आईआरसीटीसी वेबसाइट से प्रतिदिन औसतन 2,55,445 टिकट बेचे गए।

एकीकृत ट्रेन पूछताछ प्रणाली (139–रेल संपर्क काल सेंटर)

आई.आर.सी.टी.सी यात्री पूछताछ के लिए एक काल सेंटर का प्रबंधन कर रही है कोई भी ग्राहक देश के किसी भी भाग से किसी भी समय 139 डायल करके, पी एनआर की पुष्टि, गाड़ियों के रूट और भारतीय रेल से संबंधित अन्य सुसंगत जानकारी हासिल कर सकता है।

पर्यटन पोर्टल

आईआरसीटीसी अपने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार विजेता पोर्टल www.railtourismindia.com को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत है क्योंकि यह ग्राहकों की यात्रा और पर्यटन संबंधी सभी समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराता है। इसमें टुअर पैकेज, होटल, हवाई टिकट और देश में कैब रेंटल ऑन लाइन बुक किया जाना शामिल है।

पैक किया गया पीने का पानी (रेलनीर)

पैक किए गए पीने के पानी रेलनीर के दो संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) में कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, नांगलोई और दानापुर में रेलनीर का उत्पादन क्रमशः 3.19 करोड़ और 2.23 करोड़ बोतलें थी। दानापुर संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 5,500 कार्टन से बढ़कर 8,500 कार्टन प्रतिदिन हो गई है।

पालूर (तमिलनाडु) और अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) में दो रेलनीर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

रेलनीर का वितरण संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे बोर्ड और विदेश मंत्रालय आदि के अतिरिक्त विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है।

रेलनीर के पैक किए गए पीने के पानी के संबंध में विख्यात प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि रेलनीर की क्वालिटी कीटनाशक अवशेषों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के प्रतिमानकों के अनुरूप है, जोकि वास्तव में अनूठी उपलब्धि है।

4. गुणवत्ता नियंत्रण एवं शिकायत निवारण प्रणाली

वर्ष के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और जनता की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :–

- **मानक परिचालन प्रक्रियाएं/कार्य विधि को परिभाषित करना** : भोजन तैयार करने और ऑन बोर्ड सेवाओं के क्षेत्र में खानपान सेवाओं के मानकीकरण के लिए बेस किचनों से संबंधित पुस्तिका निकाली गई है जिसमें चल खानपान को स्थापित करने, परिचालन एवं अनुरक्षण, के लिए नियम पुस्तिका तथा भोजन संरक्षा आश्वासन कार्यक्रम, लांड्री, हाउस कीपिंग और किचन स्टीवार्डिंग आदि के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

- **कच्चे माल की गुणवत्ता/लागत में कटौती करने के उपाय अपनाना**

  बेस किचनों में भोजन तैयार करने के लिए कच्चे सामान की उचित गुणवत्ता के वास्ते कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए सप्लायरों को सूचीबद्ध किया गया है, इसके अलावा, ब्रांडेड अथवा रिटेलचेन सप्लायरों को भी सूचीबद्ध किया गया है। वेंडर द्वारा प्रबंधित इनवेंटरी की ही तर्ज पर हैम्पर प्रणाली लागू किए जाने से एक तरफ तो कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और दूसरी तरफ लागत में भी कमी आई है।

- **आईएसओ प्रमाणन**

  लाइसेंसियों के 158 बेस किचनों में से 81 को आईएसओ प्रमाणपत्र मिल चुका है और शेष को शीघ्र ही यह प्रमाणपत्र मिल जाएगा। हाल ही में 2009–10 में राजेन्द्र नगर पटना के विभागीय बेस किचन और पटना राजधानी – (2309–10) को आईएसओ 22000:2005 का प्रमाणपत्र दिया गया है। खानपान इकाइयों के आईएसओ प्रमाणन के कारण खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर और दृष्टिगोचर सुधार हुआ है।

- **कर्मचारी प्रशिक्षण और सशक्तीकरण**

ऑन बोर्ड कैटरिंग सेवाओं और बेस किचनो में उपयुक्त सेवा स्तर सुनिश्चित करने के लिए सेवा और भोजन तैयार करने वाले संबंधित कर्मचारियों को भोजन एवं पेय सेवाओं के संबंध में नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी के तथा सेवा प्रदाताओं के सर्विस संबंधित कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने के लिए किशनगंज, नई दिल्ली में एक कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। आईएचएम पूसा और नोएडा में बीआईएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फार स्टैण्डर्डाइजेशन के सहयोग से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाते है।

- **कंट्रोल मॉनीटरिंग**

समस्त खानपान सेवाओं की गुणवता पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय नियंत्रण की स्थापना नई दिल्ली में की गई है जो की फोन, फैक्स, ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटि और स्कैनर सहित पीसी से युक्त है तथा रात दिन परिचालन मे है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी खानपान सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए क्षेत्रीय नियंत्रण कार्यालय खोले गए हैं। नियंत्रण कार्यालय खानपान परिचालक की निगरानी करते हैं और शिकायतकर्त्ता की संतुष्टि तक स्थल पर ही शिकायतों का निपटान टेलीफोन पर करते हैं। गाड़ी परिचालन की किसी असामान्य स्थिति में नियंत्रण कार्यालय सर्वसंबंधित सेवा प्रदाताओं को खानपान सेवा की वैकल्पिक व्यवस्था करने की सूचना देता है ताकि किसी प्रकार की जन शिकायत से बचा जा सके।

- **क्यू सी पी/ आईआरसीटीसी कर्मियों द्वारा निरीक्षण**

खानपान सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आईआरसीटीसी कर्मियों और गुणवत्ता नियंत्रण व्यवसायिओं के द्वारा राजधानी, शताब्दी, पूर्व की ओर जानेवाली गाड़ियों और अन्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियों, सहित महत्वपूर्ण गाड़ियों, लाइसेंसी के बेस–किचन के निरीक्षण हेतु अनेक विशेष अभियान चलाए गए हैं। बड़ी कमियां पाए जाने पर दोषी लाइसेंसियों पर बड़ा जुर्माना लगाकर तथा छोटी कमियां पाए जाने पर चेतावनी देने जैसे दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।

- **भोजन संरक्षा एव स्वास्थ्य ऑडिट**

गाड़ियो, बेसकिचन और प्लाजा पर सुव्यवस्थित भोजन संरक्षा और स्वास्थ्य ऑडिट, तीसरे पक्ष के व्यवसायिको द्वारा किया जा रहा है।

गाड़ियों, बेसकिचन और फूड प्लाजा में भोजन संरक्षा ऑडिट रेटिंग के पिछले 3 साल अर्थात् 2007–08, 2008–09 और 2009–10 का तुलनात्मक विवरण नीचे दिए गए बार चार्ट में दिखाया गया है।

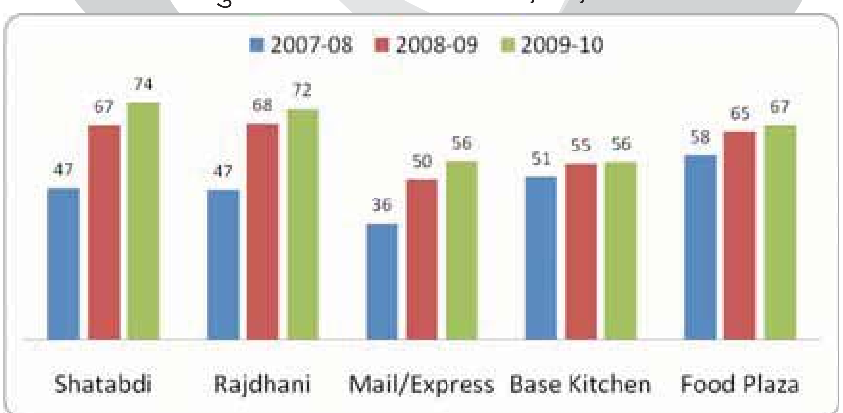

विविध खानपान इकाइयों की भोजन संरक्षा ऑडिट रेटिंग में लगातार सुधार आया है और रेटिंग में और अधिक सुधार लाने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे है। तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई

भोजन आडिट रिपोर्ट में भोजन ऑडिट रेटिंग में और अधिक सुधार लाने के लिए अल्प अवधि मध्यम अवधि और लंबी अवधि की सिफारिशे की गईं हैं।

- **सी आर एम – जागरूकता अभियान**

ग्राहकों का फीड बैक प्राप्त करने का पारंपरिक तरीका केवल स्टेशनों/गाड़ियों पर उपलब्ध सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका रही है। यह पुस्तिका यात्रियों को उपलब्ध नहीं करवायी जाती थीं। यात्रियों के साथ संवाद कायम रखने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं और अब शिकायतों के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पारंपरिक शिकायत पुस्तिका के अलावा संवाद के निम्न अनेंक चैनल उपलब्ध हैं।

क) गाड़ियो/रसोई यान में शिकायत पुस्तिका।

ख) स्टेशनों पर शिकायतें।

ग) www.irctc.com पर इंटरनेट के द्वारा।

घ) नियंत्रण कक्ष में हर समय टेलिफोन द्वारा।

ङ) एस एम एस नं 9971111139 द्वारा।

च) सभी गाड़ियों पर व्यापक रूप से परिपत्रित किए गए टोल फ्री नं – 1800–111–139 के द्वारा।

छ) रेलवे बोर्ड में सीधे शिकायत दर्ज करके

ज) आई.आर.सी.टी. सी में सीधे शिकायत दर्ज करके।

उत्पाद और घटनाओं से संबंधित सभी संदिग्ध विवरण और मापदंड को संभाल कर रखा जाता है। ड्राप डाउन मेनू, तार्किक वैधता और ऑटो–फिल क्षमताओं से सूचना की सटीकता और दक्षता मे बढ़ोत्तरी होती है। शिकायतों के मापदडं के आधार पर मामला स्वतः जांच प्रत्युत्तर और रिपोर्टिंग की स्थिति से गुजरने लगता है। शिकायतें संबंधित विभागो और कार्मिक को भेजी जाती है और गंभीरता तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

शिकायतों का विश्लेषणः– शिकायतें गुणवत्ता, मात्रा, कर्मचारियो का व्यवहार, खराब सेवा, अति प्रभार, अनाधिकृत वेंडिंग और विविध आदि श्रेणी में विस्तार से वर्गीकृत की जाती है। शिकायतों की गंभीरता के आधार पर जुर्माना लगाने, टर्मिनेट करने, चेतावनी देने और परामर्श देने जैसे दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। की गई दण्डात्मक कार्यवाही सी आर एम पर अद्यतन की जाती है और इसे शिकायतकर्त्ता तथा लाइसेंसी को ऑटो जेनेरेटर मेल की जरिए प्रेषित कर दिया जाता है।

शिकायतों की प्रकृति और उन पर की गई कार्रवाई के आधार पर वर्ष 2009–2010 की शिकायतों का विश्लेषण नीचे प्रदर्शित पाई चार्ट में दिया गया है :–

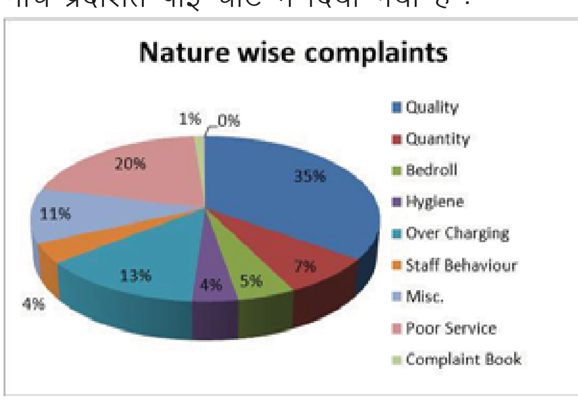

क्यूसीपी और आई आर सी टी सी कार्मिको द्वारा गाड़ियों और बेस किचन का नियमित निरीक्षण किया जाता है ताकि भोजन संरक्षण और गुणवत्ता के मानक मे सुधार लाया जा सके। इससे जन शिकायतों में भी कमी आएगी। रसोईयान और बेस किचन में भोजन संरक्षा और स्वास्थ मानक में सुधार लाने के लिए लाइसेंसियो के साथ समीक्षा बैठक की जाती है ताकि खानपान सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और भोजन की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों में कमी आए।

1 लाइसेंस का निष्पादन मूल्याकंन

लाइसेंसियो/ठेकेदारो की निष्पादन मूल्याकंन प्रणाली और वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट (ए पी आर) मजबूत की गई है और यह समग्र निष्पादन, खानपान इकाई की स्वस्थकर स्थिति, लाइसेंसी के व्यवहार एवं उसकी उपयुक्ता, शिकायतों की संख्या निरीक्षण के दौरान देखी गई कमियां, ग्राहक संतुष्टि, तीसरे पक्ष की एंजेसी की सर्वेक्षण रेटिंग, तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा भोजन आडिट का मूल्याकंन, भोजन की गुणवत्ता का आकलन तैयार करने और प्रस्तुत करने की विधि, निर्धारित मात्रा के अनुसार भोजन की व्यवस्था आदि जैसे विविध आयामों के आधार पर किया जाता है।

2 ग्राहक संतुष्टि का सर्वेक्षण

भोजन एवं अल्पाहार, बेड रोल एवं लीनेन कार्मिको का व्यवहार और सुधार के क्षेत्रों की पहचान के लिए डिब्बे से जुड़े हुए विविध आयामों के संबंध में रेल यात्रियों की संतुष्टि के पैमाने को मापने के लिए मेसर्स आई एम आर बी इंटर नेशनल, मेसर्स आई एम आन एस जैसी बाजार की प्रमुख अनुसंधान एजेंसियों को लगाया गया है। नीचे दिये गए टेबल में राजधानी शताब्दी एवं मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए पिछले 3 साल के ग्राहक संतुष्टि रेटिंग का तुलनात्मक विवरण दिया गया है।

ट्रेन की श्रेणी/ वर्ष	2008–09		2009–10	
	ट्रेनों की संख्या	प्रतिशत	ट्रेनों की संख्या	प्रतिशत
राजधानी	25	74	34	82
शताब्दी	15	79	26	84
मेल/एक्सप्रेस	105	54	68	56

मेनू स्टीकर लगाना :– मेल/**एक्सप्रेस** गाड़ियों में सेवा प्रदाता द्वारा अति प्रभार लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए समय–समय पर गुणवत्ता नियंत्रण व्यवसायिको द्वारा मेनू लगाने का अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है। अन्य सुसंगत सूचनाएं जैसे शिकायतें/सुझाव दर्ज करने के लिए चाय/काफी , रेलनीर आदि की मानक दरें भी मुद्रित की जाती हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान, 35000 से ज्यादा स्टीकर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाए गए।

5. खानपान नीति :–

रेल मंत्रालय ने 21 जुलाई, 2010 को खानपान नीति 2010 जारी की है। इससे कम्पनी के खान पान व्यापार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कम्पनी को फूडकोर्ट, फूड प्लाजा और फास्टफूड इकाईयों के क्षेत्र में नई रणनीति बनाते हुए इन्हे व्यवस्थित करने के साथ ही इन्हे बढ़ाना भी पड़ेगा।

6. पुरस्कार / मान्यता

विभिन्न क्षेत्रों में निगम के उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी को निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए –

- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2008–09 के लिए समझौते का ज्ञापन मूल्यांकन हेतु 'उत्कृष्ट' आंका गया।
- सीएनबीसी आवाज– ट्रावेल पुरस्कार सुश्री शैलजा, माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा ई–टिकटिंग के लिए – भारतीय रेल पुरस्कार–2009 को पुर्नपरिभाषित करने के लिए विशेष अनुशंसा।
- 139–रेल संपर्क के लिए 2009 में सर्वाधिक नवीन परियोजना के लिए पीसी क्वेस्ट ने 'उत्कृष्ट' से नवाजा है।
- गुणवत्ता के अर्थशास्त्र पर क्यू सीआई डीएल शाह राष्ट्रीय पुरस्कार– भोजन संरक्षा और गुणवत्ता के अर्थशास्त्र पर हमारी पहल के लिए ''क्यू सीआई–डीएल शाह राष्ट्रीय पुरस्कार डॉ. मसाकी इमाई, जापान के क्वालिटी गुरू द्वारा प्रदान किया गया।
- वर्ष 2010 के लिए द ग्रांड ज्यूरी आफ द बिलियन्थ अवार्ड साउथ एशिया–एस एम एस 139 रेलवे पूछताछ को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र।
- लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार–2009 श्री सलमान खुर्शीद, निगम मामलों के माननीय राज्यमंत्री द्वारा मध्यम श्रेणी के सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया।

7. **भविष्य की योजनाएं :** पर्यटन, खानपान गतिविधियों और इंटरनेट टिकटिंग के लिए कुछ योजनाओं के संबंध में पहल की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :

खानपान

रेलवे खानपान

– भारतीय रेलों पर और अधिक फूड प्लाजा / फास्ट फूड इकाइयाँ / फूड कोर्ट खोलें जाएंगे।

– बुक स्टाल को उन्नत किया जाएगा, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हो।

गैर रेलवे खानपान

– संबंधित शैक्षिक संस्थानो / कॉरपोरेट / सरकारी / अर्धसरकारी में संस्थानिक खानपान व्यापार शुरू करना।

– उपयुक्त वित्त पोषण माडल सहित आईआरसीटीसी के प्राइवेट बैक इंड पार्टनर द्वारा चलाई जा रही अन्य परियोजनाए और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसे संस्थानों में भव्य खानपान सेवा शुरू करना।

फूड फैक्टरी : रेलवे एवं गैर रेलवे को भोजन की आपूर्ति के लिए अत्याधुनिक रसोई घर सहित उत्पादन सुविधा।

रेलनीर

महत्वपूर्ण अनुकूल गठबंधन :– रेलनीर के क्षेत्र में आईआरसीटीसी महत्वपूर्ण अनुकूल गठबंधन की दिशा में कार्य कर रही है।

नए रेलनीर संयंत्र : दक्षिण क्षेत्र के लिए, रेलनीर संयंत्र चेन्नै के निकट पालूर में स्थापित किया जा रहा है। इसकी निविदा दे दी गई है और बिल्डिंग की स्थापना के लिए वास्तविक कार्य पूरा होने वाला है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण संयंत्र और मशीनरी को स्थापित किया जाना रोक दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र के लिए, मुम्बई के निकट अम्बरनाथ में रेलनीर संयंत्र के लिए वास्तुकार और संयंत्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है।

पर्यटन

- अखिल भारतीय आधार पर शैक्षिक टुअर बढ़ाना।
- रेल टुअर पैकेज कारोबार का और अधिक विकास।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामरिक गठबंधन।
- कॉरपोरेट क्लाइंट के लिए व्यापक यात्रा सेवा।
- आन लाइन ट्रावेल एजेंट की तरह पूरी सेवा देने का प्रस्ताव।

इंटरनेट टिकटिंग

- आईटी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण
- डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना

8. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहल :

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने 2147 स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1452 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए थे। कॉरपोरेशन ने स्टाफ के लिए ग्राहक देखभाल केन्द्र दिल्ली और प्रसिद्ध क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

कॉरपोरेशन ने सभी श्रेणियों के स्टाफ अर्थात् अधिकारियों, गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, बावर्चियों, बेयरों आदि के लिए कौशल उन्नयन और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ बहुत बडी संख्या में केटरिंग स्टाफ को हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभागीय बावर्चियों के कौशल उन्नयन हेतु सर्वोत्तम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खाद्य संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया।

9. लाभांश :

वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक बोर्ड ने 4.00 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की। निदेशक बोर्ड ने अब 2009–2010 के लिए अंतरिम लाभांश सहित (लगभग, शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) 12.61 करोड़ रु. के कुल लाभांश की सिफारिश की है।

वर्ष के लिए कुल लाभांश 6.31 रु. प्रति शेयर होगा जबकि पिछले वर्ष 4.65 रु प्रतिशेयर भुगतान किया गया था। वर्ष के लिए भुगतान किए जाने वाला कुल लाभांश 12.61 करोड़ रुपए होगा जबकि पिछले वर्ष 9.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

10. पूंजीगत ढांचा :

31 मार्च, 2010 को कॉरपोरेशन की प्रदत्त शेयर पूंजी 20.00 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार कॉरपोरेशन की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी अपने पास रखती है। वर्ष के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

11. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

12. राष्ट्रपति के निर्देश/सरकारी निर्देश :

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के दौरान दूसरे वेतन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिन्हें लागू कर दिया गया है।

13. सतर्कता :

13.1 वर्तमान में सतर्कता विभाग एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। यह विभाग निवारक सतर्कता पर बल देने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि, प्रणाली और प्रक्रियाओं को उन्नत बनाया जा सके और मनमर्जी करने का अवसर बहुत कम रहे। यह प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित विषयों पर अनुशसनिक और उचित तरीके से शक्तियों के प्रयोग सुनिश्चित करता है।

13.2 नीतियों/प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने/प्रलेखबद्ध करने के लिए कार्य करने वाले विभागो को सलाह देकर निगम के निष्पादन को बढ़ाने में आईआरसीटीसी का सतर्कता विभाग एक प्रभावी प्रबंधकीय साधन की भूमिका निभाता रहा है।

13.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2009, 3 से 7 नवंबर, 2009 के दौरान आयोजित किया गया। आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में विविध कार्यक्रम/व्याख्यान आयोजित किए गए । इनका उद्देश्य प्रणालीगत सुधार और सूचना तकनीक का प्रयोग करके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था।

13.4 सतर्कता विभाग के निष्पादन की समीक्षा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

13.5 कार्यों और सेवाओं आदि में सत्यनिष्ठा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाने की दिशा में आईआरसीटीसी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 'सत्यनिष्ठा पैक्ट'' का कार्यान्वयन कर रही है। सत्यनिष्ठा पैक्ट को अपनाकर आईआरसीटीसी एक लंबी स्वस्थ व्यावसायिक पद्धति स्थापित करने की दिशा में एक दूरी तय करेगी।

14. राजभाषा का कार्यान्वयन

भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन में निगम राजभाषा के कार्यान्वयन पर लगातार बल देता आया है। राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और निगम ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध की है।

कार्यशालाएं आयोजित करके, प्रशिक्षण दिलाकर, बैठको, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक गतिविधि, गृह पत्रिका 'प्रेरणा' का द्विभाषी प्रकाशन करके निगम ने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए हैं। हिंदी में उल्लेखनीय योगदान देने वालो के लिए अनेक योजनाएं लागू हैं।

15. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–1 के रूप में लगाई गई है।

16. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के उपबंधों के अंतर्गत यथा अपेक्षित, कोई भी कर्मचारी उसमें निर्धारित सीमा से अधिक वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर रहा था।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि का विवरण :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार ब्योरा **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है।

18. निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन :

निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे ताकि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कॉरपोरेशन कार्यों की स्थिति का तथा समीक्षाधीन अवधि के लिए कॉरपोरेशन के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

(iii) निदेशकों ने कॉरपोरेशन की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं।

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत कम्पनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट का भाग बनेगी।

20. कॉरपोरेट शासन और समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट अनुबंध–**III** में दी गई है। कार्यरत कम्पनी सचिव से प्राप्त की गई कॉरपोरेट शासन पर प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुबंध–**IV** में दी गई है।

कॉरपोरेशन ने भारत सरकार, रेल मंत्रालय के साथ समझौते के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिससे वर्ष 2009–10 के लिए वास्तविक वित्तीय लक्ष्य साथ–साथ निर्धारित किया जा सकें।

21. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आईआरसीटीसी का कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की नीति ''अपने रेल यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओ, शेयरधारको, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी स्टेक धारकों के प्रति एक सजग, दायित्व पूर्ण कॉरपोरेट के रूप में कायम रहना है।''

आईआरसीटीसी ने अपने प्रतिबद्धताओ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

- भोज्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग के लिए वातारण अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करना।
- अवशिष्ट जल को सोलर पिट में सुरक्षित रूप से खाली करना ताकि जमीन में जल रीचार्ज हो और पारिस्थितकीय संतुलन सही रहे।
- वृक्षारोपण करना।

- कचरे की फिसलन रोकना और रेल परिसरों में कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।
- रेल परिसरों में आग के खतरों को कम करने के लिए इंडक्शन कुकिंग प्रणाली शुरू की गयी है।
- स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने के लिए भोजन और संरक्षा आडिट।
- शैक्षिक और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता।
- बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी तथा महाराजा एक्सप्रेस गाड़ी में वातावरण अनुकूल सीडीटीएस प्रसाधन लगाया जाना।

वर्ष के दौरान तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच 1,00,000 रेलनीर के बोतल वितरित किए गए।

धारणीय व्यापार विकास

आईआरसीटीसी ने धारणीय व्यापार विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है :–

बेस किचन और अल्पाहार गृहो में सौर ऊर्जा का प्रयोग।

उपयोग किए गए रेलनीर के बोतलो को इकट्ठा करना और उनका निपटान करना ताकि इनका दुरूपयोग न किया जा सके।

22. लेखापरीक्षक :

वर्ष 2009–2010 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कॉरपोरेशन के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया था।

23. निदेशक बोर्ड :

इस समय, कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी निदेशक, दो सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक और चार अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं।

बोर्ड ने कार्य करने के लिए वर्ष के दौरान 4 (चार) बैठकें की और निम्नलिखित निदेशक रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :

श्री विवेक सहाय, अध्यक्ष,

श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक,

श्री नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन व विपणन),

श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं),

श्री विश्व रंजन गुप्त, निदेशक (वित्त),

श्री नरेश सलेचा, सरकारी निदेशक

श्रीमती मनी आनन्द, सरकारी निदेशक

श्री जगदीप एस. छोकर, स्वतंत्र निदेशक

श्री आलोक शिवपुरी, स्वतंत्र निदेशक

श्री आर.एन.भारद्वाज, स्वतंत्र निदेशक

श्री आर.के. अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक

श्री श्रीप्रकाश द्वारा अधिवर्षिता पर रेल मंत्रालय से सेवाएं पूरी होने के बाद निगम के निदेशक का पद छोड़ने पर श्री विवेक सहाय, सदस्य यातायात श्री श्रीप्रकाश के स्थान पर 14.01.2010 को अध्यक्ष के रूप में निगम के बोर्ड

में सम्मिलित हुए। आईआरसीटीसी के अध्यक्ष के रूप में श्री श्रीप्रकाश द्वारा निगम को दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

निगम के निदेशक श्री अशोक कुमार के कार्यकारी निदेशक/टीएण्डसी, के पद से रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय से स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री सुनील माथुर, कार्यकारी निदेशक/टीएण्डसी, रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय 14.01.2010 को निगम के सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में सम्मिलित हुए। निगम के निदेशक श्री सुनील माथुर, जिनका स्थानांतरण कार्यकारी निदेशक/टीएण्डसी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के पद से हो गया है, के स्थान पर श्रीमती मनी आनन्द, कार्यकारी निदेशक/टीएण्डसी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय निगम के बोर्ड में दिनांक 14.05.2010 को शामिल हुई। बोर्ड श्री अशोक कुमार और श्री सुनील माथुर द्वारा आईआरसीटीसी के सरकारी निदेशक के रूप में दिए गए उनके मार्गदर्शन एवं सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

25. लेखापरीक्षा समिति :

कॉरपोरेशन द्वारा निदेशक बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति पहले गठित की गई थी। निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान कार्य करने के लिए तीन (3) बार बैठक की और लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :–

श्री आर.एन.भारद्वाज, स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीप एस. छोकर, स्वतंत्र निदेशक

श्री आलोक शिवपुरी, स्वतंत्र निदेशक

श्री आर.के.अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक

श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री आर.एन.भारद्वाज, को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

26. आभार एवं सराहना :

निदेशक बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी प्रकार के मार्ग दर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है क्योंकि रेल मंत्रालय के सक्रिय समर्थन के बिना आलोच्य अवधि के दौरान निगम ने जो उपलब्धियां हासिल की है, वे संभव नहीं थी।

निदेशक बोर्ड अपने सम्माननीय ग्राहकों और लाइसेंसियों के प्रति भी कृतज्ञ है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा–परीक्षकों और आन्तरिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त सृजनात्मक सुझावों के लिए उनका आभारी है।

अंत में बोर्ड अपने सभी स्तर के कर्मियों द्वारा कंपनी की निरंतर प्रगति एवं उत्कृष्टता के लिए किए गए अथक प्रयास और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली **हस्ता०/–**

दिनांक :07 सितंबर, 2010 **(विवेक सहाय)**

अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–1

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग का स्वरूप और विकास

आर्थिक परिदृश्य : भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से बड़ी तेजी से उभरी है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के, जो तीन वर्ष की औसत 9 से घटकर 2008–09 में 6.7 रह गई थी, पिछली दो तिमाहियों के आंकड़े प्राप्त हो जाने के बाद 2009–10 में बढ़कर 7.2 हो जाने की आशा है। इस पुनरूत्थान का श्रेय नीति निर्धारकों को जाता है। जिन्होंने वैश्विक मंदी का मुकाबला करने के लिए व्यापक प्रतिकारी चक्रीय नीति को समय पर कार्यान्वित कर दिया। उदार मौद्रिक नीतिगत समर्थन के साथ पर्याप्त वित्तीय विस्तार से अर्थव्यवस्था को वृद्धि की पटरी पर लाने में काफी मदद मिली है।

खानपान एवं पर्यटन क्षेत्र

खानपान उद्योग का परिदृश्य : बहुत पहले, भारतीय उप महाद्वीप में संचारात्मक एकीकरण की बहुत कमी थी। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में आपसी संपर्क की बहुत कमी थी। खानपान, वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति आदि में भिन्नता से लोगों में अलगाव की प्रवृत्ति थी, जिससे क्षेत्रवाद का जन्म हुआ। जब हम भोजन की बात करते हैं तब पंजाब अपने सुस्वादु भोजन व्यंजनों के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन अपनी सोंधी महक के लिए मशहूर हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी विभिन्न किस्मों के स्वदिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। देश भर में संचार तंत्र के व्यापक नेटवर्क तथा भारत में हाल ही में खानपान एवं होटल व्यवसाय में आए उछाल से अब किसी क्षेत्र विशेष के व्यंजन केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर अन्य लोगों में भी लोकप्रिय हो गए हैं। हमारे उप महाद्वीप के किसी भी कोने में रहने वाले लोग अब देश भर में फैल रही रेस्तराओं की चेन के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों के जायके का लुत्फ उठा सकते है।

रेलवे खानपान ने भी, भले ही वह एकल व्यवसाय वाली है, रेल यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रीय व्यंजनों को अपनाया है।

भारत में भोजन उद्योग उत्पादन खपत और वृद्धि के हिसाब से सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। एक मूल्यांकन के मुताबिक 2015 तक भारतीय भोजन उद्योग के वर्तमान 180 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 258बिलियन अमरीकी डालर तक हो जाने की संभावना है। यह महत्वपूर्ण है कि रेलवे भी खानपान के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के साथ अपना ताल मेल बना के चले।

भारतीय रेल पर यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन का उत्पादन और सेवाएं यात्री सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। उत्पादन और सेवा के क्षेत्र में हुए टेक्नालॉजी संबंधी परिवर्तनों से भोजन को सम्भाले जाने और उसे परोसे जाने के क्षेत्र में काफी बदलाव आ गए हैं।

एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेल पर खानपान सेवा का कारोबार प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। ग्राहकों की संख्या को देखते हुए अपार अवसर मौजूद हैं। जिनकी भारतीय रेल और आईआरसटीसी द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती। मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहकों की संख्या, 2005 और 2015 के बीच बढ़कर 300 प्रतिशत हो जाने की संभावना है और युवा वर्ग की जनसंख्या में 11 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि के अनुमान से सुविधाजनक यात्रा, साफ़ सफाई की व्यवस्था तथा स्वास्थ्यकर और भिन्न प्रकार के व्यंजनों की मांग बढ़ने की संभावना है।

गत 5 वर्षों के दौरान, खर्च करने योग्य आय में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे खाने–पीने की मदों पर प्रतिव्यक्ति भोजन की खपत पर होने वाले खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई परंतु यह अभी भी चीन और अमरीका आदि जैसे देशों की तुलना में कम है।

भोजन की खपत को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है :–

(क) मध्यम और उच्च वर्ग के भारतीय घरों में चार गुनी वृद्धि से भारत के घरों में 2015 तक खपत दो गुनी हो जाएगी।

(ख) युवावर्ग की जनसंख्याा में वृद्धि।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास।

(घ) रेलवे नेटवर्क में गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के साथ यात्रियों की संख्या में वृद्धि।

सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के साथ जीवन शैली में बदलाव आता है जिससे यात्रियों की खानपान की आदतों में भी परिवर्तन आता है। भोजन ग्रहण करने का ढांचा निम्न है :–

(क) न्यूक्लीय परिवार जिनके पास भोजन पकाने का सीमित समय होता है।

(ख) औद्योगिक बाजारी रुख के अनुसार पैक्ड/प्रोसेस किए हुए भोजन की स्वीकार्यता।

(ग) जन–संचार के माध्यमों की पैठ से यात्रियों में जागरूकता का प्रभाव।

पर्यटन उद्योग का परिदृश्य : 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर से कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का कारोबार 852 बिलियन अमरीकी डॉलर (2009) होने का अनुमान है। रोजगार देने में भी इस उद्योग की अहम भूमिका है और विश्व की रोजगार संख्या का (सीधे आधार पर) लगभग 8 प्रतिशत का अनुमान है इसके अलावा, इसके 2.25 गुणज होने का अनुमान है अर्थात् पर्यटन के क्षेत्र में प्रत्येक रोजगार से निर्माण, जहाजरानी निर्माण, वायुयान, आटोमोबाइल उद्योग, फूलों से जुड़ी उत्पादन गतिविधियों, कृषि, मनोरंजन आदि जैसे संबंधित उद्योगों में परोक्ष रूप से 1.25 रोजगार सृजित होते है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग को आर्थिक मंदी से काफी नुकसान हुआ है परंतु अब यह फिर से गति पकड़ रहा है।

भारत में वर्ष 2007–08 में लगभग 5.2 बिलियन यात्री आए थे, जिससे 11.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा के रूप में आय हुई थी। जबकि विदेश में जाने वाले भारतीयों की संख्या 10.65 मिलियन थी। वर्ष 2008–09 में पर्यटकों के आगमन में मामूली गिरावट हुई जो घटकर 5.07 मिलियन रह गई (10.5 बिलियन अमरीकी डालरों की विदेशी मुद्रा की आय हुई) जो अब चालू वर्ष में फिर से रफ्तार पकड़ रही है।

भारत में कुल 0.56 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते है जिनसे 1.25 प्रतिशत आय प्राप्त होती है और पर्यटन से होने वाली आय में भारत का 41वां स्थान है। इसकी तुलना में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और भूमि के आकार के मुताबिक 7वां है और सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से 10वां है। भारत में विश्व के अत्यंत मनोरम स्थान हैं, असीमित संख्या में पर्वत, समुद्र तट, रेगिस्तान, वन संपदा, और जंगली जीव जन्तु हैं और इसकी अपनी भरी पूरी विरासत है।

घरेलू यात्रियों की कुल संख्या 526 मिलियन थी इस प्रकार घरेलू पर्यटन का भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है बहरहाल, यह क्षेत्र अधिकांशतः गैर–संगठित क्षेत्र के रूप में है। इस परिदृश्य में आईआरसीटीसी देश भर में विभिन्न किस्म के वर्गों एवं आय समूहों वाले पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन उत्पाद मुहैया कराता रहा है।

आईआरसीटीसी बजट यात्रियों के लिए कुल 500 रुपये प्रतिदिन की दर से भारत दर्शन (विलेज ऑन व्हील्स) का आयोजन करती है। इसके अलावा मध्यम दर्जे के पर्यटकों के लिए रेल अथवा रेल घटक के बिना भी विभिन्न प्रकार की टुअर पैकेज की व्यवस्था करती है। यह बुद्धिस्ट सर्किट के लिए एक विशेष गाड़ी चलाती है और इसने उच्च वर्ग के पर्यटकों के लिए एक लग्जरी पर्यटन गाड़ी चलाई गई है (महाराजा एक्सप्रेस) जो आईआरसीटीसी के स्वामित्व में है और जिसका प्रबंधन 50:50 के अनुपात में मैसर्स कॉक्स एण्ड किंग्स के साथ मिलकर किया जा रहा है।

आईआरसीटीसी ने एक ''यात्रा एवं पर्यटन पोर्टल'' www.tourismindia.com विकसित किया है,जो एक ही स्थान पर सब सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला पोर्टल है जहां से ग्राहक विभिन्न प्रकार के यात्रा एवं पर्यटन संबंधी उत्पाद खरीद सकता है जिनमें पैकेज, विशेष गाड़ियों, चाटर्स, होटल बुकिंग, किराए पर टैक्सी, एयर टिकटिंग आदि शामिल है। इस पोर्टल को फरवरी, 2008 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ग्रिड–अतिथि सत्कार के लिए एकल स्थान समाधान : यात्रियों की खानपान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्षों की श्रृंखला के जरिए ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए ग्रिड की स्थापना की गई है। उन्हें मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ जोड़ा गया है जो कस्टमाइज्ड डेडीकेटिड सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। ये नियंत्रण कक्ष फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन और राष्ट्रीय टॉल फ्री नम्बर और कॉमन एकीकृत एसएमएस सुविधाओं से जुड़े होते हैं। देशभर में खानपान स्थापनाएं भी इंटरनेट से अथवा अन्यथा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ताकि प्रयोगात्मक आधार पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें :

1. बुक ए मील : भोजन की ऑनलाइन बुकिंग
2. शैक्षणिक संस्थाओं/कॉरपोरेट/सरकारी/अर्धसरकारी आदि संस्थाओं में संस्थागत खानपान कारोबार।

बाद में, इसे यात्रियों के लिए एकल खिड़की सुविधा के रूप में विस्तारित कर दिया जाएगा यथा इसके द्वारा उन्हें होटल और टैक्सी बुक करने और पर्यटन और परिवहन संबंधी सुविधाओं आदि की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। इसके उच्चतर ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना है।

2. शक्तियां एवं कमजोरियां

शक्तियां

- स्टेशनों और गाड़ियों सहित भारतीय रेल के सभी नेटवर्क तक पहुंच।
- रेलवे उपयोगकर्ता आधार की वृह्द मात्रा का लाभ उठाना।
- देश में प्रतिदिन 1100 गाड़ियों और 7000 स्टेशनों को सेवा प्रदान करने वाली सबसे बड़ी सेवा प्रदाता।
- रेल यात्री सेवाएं टिकटिंग और पर्यटन गतिविधियों के लिए असीम संभावनाएं उपलब्ध कराती है।
- यात्रा, पर्यटन और टिकटिंग की जानकारी एवं अनुभव।
- सबसे बड़ा ई–कामर्स सेवा प्रदाता।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान आईआरसीटीसी ने अतिथि सत्कार और पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक क्षमताएं हासिल की हैं जिनमें देशभर में व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त और अनुभवी कर्मचारी शामिल हैं तथा खानपान और पर्यटन एवं यात्रा क्षेत्र में गहरी पैठ रखने वाले कर्मचारी भी हैं। इसे इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में सबसे बेहतर माना जाता है जहां यह प्रतिदिन 2,60,000 टिकटें बेचता है और इसके 16 लाख के लगभग यात्री हैं।

कमजोरियां

- 3152 स्टेशनों पर खानपान गतिविधियां अधिकांशत : गैर–संगठित क्षेत्र में हैं
- मानकीकरण का अभाव।
- यात्रियों की आशाओं और बाजार–मांग के अनुरूप सेवाओं में विस्तार नहीं हुआ।
- पहले से चले आ रहे मौजूदा खानपान ठेकेदार।
- आम जनता के बीच रेलवे खानपान की कमजोर छवि।

(3) अवसर एवं चुनौतियां

अवसर :

- प्रतिदिन 17 मिलियन यात्रियों के ग्राहक आधार के साथ इसकी स्थिति काफी मजबूत है।
- रेल यात्रा में स्वस्थ वृद्धि
- खर्च करने योग्य उपलब्ध आय तथा बदलते भारतीय जायके के चलते, बहुव्यंजन फूड प्लाजाओं, आटोमैटिक वैंडिंग मशीनों और गाड़ियों में काम्बो भोजन आदि की अधिक मांग।
- देशी और विदेशी पर्यटन में तेजी से हो रही वृद्धि।
- 400 मिलियन देशीय और 5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का व्यापक ग्राहक आधार।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख गाड़ियों पर रेल क्षमता का उपयोग।
- यात्रा पोर्टल का विकास
- सभी वर्गों के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खानपान गतिविधियों को पुनर्गठित करना।
- पर्यटन के क्षेत्र में घरेलू पर्यटन, कॉरपोरेट यात्राओं, देश के भीतर भ्रमणों की अपार संभावनाएं मौजूद।
- इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में भी बहुत से अवसर हैं और राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए सभी टिकटों की बिक्री का काम आईआरसीटीसी को सौंपा गया है। ई–कामर्स क्षेत्र में भी बहुत से अवसर उपलब्ध है।
- खानपान के क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा और फास्ट फूड की इकाइयों को विकसित करने तथा गैर रेलवे खानपान गतिविधियों को विकसित करने की अच्छी सभावनाएं मौजूद हैं।

चुनौतियां

- स्टेशनों गाड़ियों में अनधिकृत वेंडिंग और पुरानी धाक वाले वेंडरों और वर्तमान लाइसेसियों द्वारा मुकदमेबाजी के कारण गुणवत्ता में सुधार लाने में विफलता ।
- बेहतर किस्म की जनशक्ति को आकर्षित करने और उन्हें अपने पास बनाए रखने में कठिनाई।

4. क्षेत्र–वार निष्पादन

आईआरसीटीसी दो क्षेत्रों, अर्थात् खानपान और पर्यटन, में काम करता है खानपान क्षेत्र तीन हिस्सों में बंटा हुआ है अर्थात् चल खानपान, स्थैतिक खानपान जो आगे फिर लाइसेंसी खानपान और विभागीय खानपान में उपविभाजित है तथा रेलनीर जो कि पैकेज्ड पीने का पानी है। पर्यटन क्षेत्र दो भागों में यथा पर्यटन उत्पाद तथा सेवाएं और इंटरनेट टिकटिंग में बंटा हुआ है।

वर्ष 2009–10 के दौरान लाइसेंसी खानपान व्यवसाय में 369.44 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि 2008–09 में 344. 83 करोड़ रुपए की आय हुई थी। पहले के 69.21 करोड़ रू० की तुलना में वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में प्राप्त किया गया परिणाम (लाभ) 64.81 करोड़ रू० रहा। कमी की वजह और अधिक अभिशेष शीर्षो का आबंटन था।

वर्ष 2009–2010 के दौरान विभागीय खानपान व्यापार में 147.05 करोड़ रू० की आय हुई है जबकि वर्ष 2008–09 के दौरान 138.93 करोड़ रू० की आय हुई थी। इस व्यवसाय में 74.74 करोड़ रुपए की हानि हुई जबकि पिछले वर्ष यह 54.98 करोड़ रुपए थी। विभागीय चल खानपान के लिए हानि 25.17 करोड़ रुपए थी जबकि स्थैतिक खानपान के मामले में यह 49.58 करोड़ रुपए थी। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हुआ :

(क) कच्चेमाल की कीमतों में वृद्धि से सामग्री लागत में वृद्धि।

(ख) मानव संसाधन की बढ़ी हुई लागत।

(ग) रेलवे द्वारा भोजन की दरों में कोई वृद्धि न करना।

(घ) बढ़ी हुई विभागीय गतिविधियां।

वर्ष 2009–10 के दौरान रेलनीर के व्यवसाय में 22.41 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि वर्ष 2008–09 में यह 12. 85 करोड़ रुपए थी। ऐसा मुख्यतः रेलनीर संयंत्र, नांगलोई और दानापुर संयंत्र की क्षमता में वृद्धि के कारण हुआ जहां इसकी क्षमता 5500 कार्टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 8500 कार्टन कर दी गई। इस वर्ष के दौरान 8.95 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि पिछले वर्ष 1.35 करोड़ रुपए की आय हुई थी।

वर्ष 2009–10 के दौरान पर्यटन व्यवसाय से होने वाली आय 44.73 करोड़ रुपए रही जबकि वर्ष 2008–09 के दौरान यह 27.94 करोड़ रुपए थी जो 60 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। इस क्षेत्र में होने वाली हानि 2.81 करोड़ रुपए की थी जबकि गतवर्ष यह 1.98 करोड़ रुपए थी ऐसा मुख्यतः इस कारण हुआ कि सीमांत लाभ घटाकर राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2009–10 के दौरान इंटरनेट टिकटिंग के व्यवसाय से 122.89 करोड़ रुपए की आय हुई जबकि वर्ष 2008–09 के दौरान 82.62 करोड़ रुपए आय हुई थी। इस क्षेत्र में वर्ष में 83.92 करोड़ रूपए का लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष में यह 46.89 करोड़ रूपए था। इंटरनेट टिकटिंग में उल्लेखनीय वृद्धि अच्छे विपणन प्रयासों, अपग्रेडिड बुनियादी ढांचे और सुधरे हुए ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के कारण हुई।

5. वर्तमान परिदृश्य

कम्पनी इस समय गंभीर चुनौतियों से जुझ रही है क्योंकि इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों और भावी निष्पादन पर भारतीय रेल से बड़े पैमाने पर मिलने वाले समर्थन पर निर्भर करेगा।

6. जोखिम और चिन्ताएं

खानपान :

रेल मंत्रालय ने 21 जुलाई, 2010 को खानपान नीति 2010 जारी की है। इससे कम्पनी के खान पान व्यापार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कम्पनी को फूडकोर्ट, फूड प्लाजा और फास्टफूड इकाईयों के क्षेत्र में नई रणनीति बनाते हुए इन्हे व्यवस्थित करने के साथ ही इन्हे बढ़ाना भी पड़ेगा।

इंटरनेट टिकटिंग:

रेल आरक्षण के लिए ई–टिकटिंग सेवा की व्यवस्था आईआरसीटीसी ने बहुत ही मजबूती से किया है। ग्राहकों के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा व्यापार के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा लाए जाने की नीति को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को ई–टिंकटिंग व्यापार में राजस्व बढ़ाने हेतु–नयी रणनीति पर विचार करना होगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें मूल्य–संबर्धित सेवाएं शुरू करने की रणनीति अपनानी होगी।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कम्पनी ने प्रबंधन की नीतियों का अनुसरण करने, परिसम्पतियों की सुरक्षा, धोखा–धड़ी और गलतियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा रिकार्ड की सत्यता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित अपने कारोबार को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के एक अंग के रूप में विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार की है।

कम्पनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य एक बाहरी व्यावसायिक फर्म मैसर्स के.जी. सोमानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, नई दिल्ली को सौंपा हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आईआरसीटीसी के परिचालन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं। इससे आंतरिक नियंत्रणों, भुगतान और खर्च की छानबीन करके और कम्पनी के वित्तीय और तकनीकी रिकार्ड की जांच की समीक्षा करके कम्पनी के कारोबार और परिचालन की सत्यता और कुशलता को सुधारने में मदद मिलती है।

सत्यनिष्ठा समझौता

कार्यों के प्रापण और सेवाओं आदि में सत्यनिष्ठा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई प्रक्रियाओं को अपनाकर आईआरसीटीसी केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को लागू कर रहा है। स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता को अपनाने से स्वस्थ व्यावसायिक पद्धतियों को स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी।।

8. परिचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार–विमर्श

वर्ष 2009–10 के दौरान कार्पोरेशन ने 721.97 करोड़ रूपय की कुल आय प्राप्त की जबकि, वर्ष 2008–09 में यह राशि 618.77 करोड़ रूपय थी। जो कि 17 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। आय में यह वृद्धि रेल मंत्रालय द्वारा लघु और बड़ी इकाइयों को टेंडर देने के लिए लगाई गई रोक के बावजूद थी। बढ़े हुए राजस्व और खर्च पर नियंत्रण के कारण वर्ष 2009–10 में 63.05 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया जबकि वर्ष 2008–09 में यह राशि 46.50 करोड़ रूपए थी। जैसा कि गत वर्ष व्यवस्था की गई थी इस वर्ष भी कर्षण प्रभार के रूप में 30.00 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कार्पोरेशन की आरक्षित और अधिशेष निधि 142.76 करोड़ रूपए थी। शुद्ध मूल्य पिछले वर्ष के 114.46 करोड़ रूपय से बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 162.76 करोड़ रूपए हो गया है।

वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय ने खानपान नीति के समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी और गाडियों पर अधिकांश खानपान गतिविधियों पर एक तरह से रोक ही लगा दी और आगे यह भी निदेश दे दिए कि आईआरसीटीसी के द्वारा नियोजित कर्मचारियों के माध्यम से विभागीय आधार पर संभाली जाने वाली गाड़ियों के प्रबंधन के लिए कोई ठेके न दिए जाएं। आईआरसीटीसी ने नई चलाई जाने वाली गाड़ियों का प्रबंधन करने हेतु बड़ी आउटसोसिंग की रणनीति अपनाई।

रेल मंत्रालय के साथ वर्ष 2009–10 के लिए समझौता ज्ञापन

वित्तीय समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के साथ वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे दर्शाई गई है:–

समझौता ज्ञापन आधार	समझौता ज्ञापन 2009–10	वास्तविक आंकड़े 2009–10
सकल मार्जिन/सकल ब्लॉक (प्रतिशत)	56.83 प्रतिशत	84.59 प्रतिशत
शुद्ध लाभ/शुद्ध मूल्य (प्रतिशत)	30.92 प्रतिशत	38.74 प्रतिशत
सकल लाभ/नियोजित पूंजी (प्रतिशत)	47.08 प्रतिशत	62.45 प्रतिशत
सकल मार्जिन (करोड़ रूपयों में)	80	107.3
सकल बिक्री (करोड़ रूपयों में)	550	694.95
पीबीडीआईटी/कुल नियोजन(प्रति व्यक्ति लाखरूपयों में)	2.29	4.07
संवर्धित मूल्य/सकल बिक्री	12.03 प्रतिशत	13.26 प्रतिशत

संयुक्त उपक्रम कम्पनी का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षाः

रॉयेल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटिड

- कम्पनी का मुख्य उद्देश्य लग्जरी पर्यटन गाड़ियां चलाना है।

  31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए थी। रॉयेल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड के प्रमोटर आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड हैं। कंपनी की शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी में प्रत्येक की 50 प्रतिशत की भागीदारी है।

- **कम्पनी की अनंतिम वित्तीय विशेषताएं :** **(करोड़ रू० में)**

विवरण	वित वर्ष 2010	वित वर्ष 2009
आईआरसीटीसी की इक्विटी में निवेश	2.50	2.50
सकल आय	0.93	0.02
शुद्ध लाभ/हानि	(1.77)	(0.34)

9. मानव संसाधन में वास्तविक विकास : नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में :

कारर्पोरेशन ने कर्मचारियों के लिए कस्टमर केयर सेंटर दिल्ली में और प्रतिष्ठित क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की।

कार्पोरेशन ने कौशल संवर्धन और व्यक्तिगत साफ–सफाई के क्षेत्र में कर्मचारियों की सभी कोटियों यथा–अधिकारी, क्यूसीपी, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, रसोइये, बैरे आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से खानपान क्षेत्र के कर्मचारियों को बहुत लाभ पहुंचा है।

वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए।

कामकाज को व्यवसायिक बनाने और सुचारू बनाने के लिए वर्ष के दौरान 21 कार्यपालकों, 175 पर्यवेक्षकों और 244 कामगारों को आईआरसीटीसी में विज्ञापन द्वारा बाहर से तथा कैंपस भर्ती के जरिए नियुक्तियां दी गई।

वित्त वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च, 2010 को कुल जनशक्ति 2645 थी जिसमें 488 कार्यपालक और 2157 गैर कार्यपालक थे।

10. पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, टेक्नॉलॉजीकल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण।

आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित उपाय अपनाए है :

- बेस किचन और अल्पाहार कक्षों में सौर ऊर्जा का उपयोग।
- बेकार पानी को संरक्षित तरीके से सौर गार्तों में डालना ताकि धरती के जलस्तर की भरपाई हो सके और पारिस्थितकीय संतुलन बना रहे।
- कूड़े कचरे को फैलने से बचाना और रेल परिसर में कूड़े का संरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।

11. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

आईआरसीटीसी की कॉरपोरेट सामाजिक नीति ''एक ऐसा जिम्मेदार कॉरपोरेट निकाय बने रहना है जो संबंधित पक्षकारों, जिसमें रेल यात्री, ग्राहक, उपभोक्ता, शेयरधारक, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय और समाज के आम लोग भी शामिल हैं, के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे''

आईआरसीटीसी ने अपनी प्रतिबद्धधता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए है :

- खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और पेय पदार्थों को परोसने के लिए पर्यावरण हितैषी उत्पादों का इस्तेमाल।
- बेकार पानी को संरक्षित तरीके से सौर गार्तों में डालना ताकि धरती के जलस्तर की भरपाई हो सके और पारिस्थितकीय संतुलन बना रहे।
- वृक्षारोपण।

- कूड़े–कचरे को फैलने से बचाना और रेल परिसर में कूड़े का संरक्षित निपटान सुनिश्चित करना।
- रेल परिसरों में आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए इंडक्शन कुकिंग प्रणाली को अपनाना।
- स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचने के लिए भोजन एवं संरक्षा लेखापरीक्षा लागू करना।
- शैक्षिक एवं अन्य संस्थानो को वित्तीय सहायता देना।
- बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल गाड़ियों और महाराजा एक्सप्रेस में पर्यावरण हितैषी सीडीटीएस शौचालय लगाना।

वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में तूफान से पीड़ित लोगों के बीच 1,00,000 रेलनीर की बोतलों का वितरण किया गया।

धारणीय व्यवसाय विकास

आईआरसीटीसी ने धारणीय व्यवसाय विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है :

बेस किचन और अल्पाहार कक्षों में सौर ऊर्जा का उपयोग।

रेलनीर बोतलों को इकट्ठा करने उनका निपटान करना ताकि कोई उनका दुबारा उपयोग न कर ले।

चेतावनीपरक कथन :

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण और निदेशक की रिपोर्ट जिसमें कंपनी के उद्देश्य, प्रक्षेपण और अनुमानों का वर्णन है, एक दूरदर्शी एवं प्रगतिपरक कथन हैं और वे लागू कानूनों और विनयमों के अंतर्गत एक प्रगतिशील कथन हैं। वास्तविक आकंड़े बताये गए या अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं जो आर्थिक नीतियों, सरकारी नीतियों, और अन्य आनुषंगिक कारकों पर निर्भर कर सकते हैं। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे अग्रगामी कथनों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर न करें।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ताः/–

स्थान : नई दिल्ली **(विवेक सहाय)**

दिनांक : 07 सितंबर, 2010 **अध्यक्ष**

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध-II

फार्म–क

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

क. विद्युत और ईंधन खपत :

विवरण	2009–10	2008–09
1. बिजली		
क) खरीदी गई :		
यूनिटें ('000 केडब्ल्यूएच)	2678.18	1819.23
कुल राशि (लाख रु. में)	139.89	94.50
दर / यूनिट (रु. में)	5.22	5.19
ख) निजी उत्पादन :		
डीजल जनरेटर के माध्यम से–		
यूनिट ('000 केडब्ल्यूएच)	144	321
डीजल तेल की प्रति लीटर यूनिटें	3.12	3.16
लागत / यूनिट (रु.)	15.58	12.51
2. कोयला	शून्य	शून्य
3. फर्नेस ऑयल	शून्य	शून्य
4. नेचुरल गैस	शून्य	शून्य

ख. उत्पादन की प्रति यूनिट खपत :

विवरण	बिजली (केडब्ल्यूएच) / प्रति बोतल)		फर्नेस ऑयल		नेचुरल गैस		कोयला	
	09–10	08–09	09–10	08–09	09–10	08–09	09–10	08–09
रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी	0.05	0.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फार्म–ख

तकनीकी समावेशन के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

अनुसंधान और विकास

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास कंपनी द्वारा किया जाता है :**
   महाराजा एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों के लिए नीचे लगाए जाने वाले जल छानने के संयंत्र।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया लाभ :**
   मेहमानों की सुविधा और उपस्कर की लंबी आयु के लिए सवारी डिब्बों में सभी प्रयोजनों के लिए फिल्टर किए हुए पानी की उपलब्धता।

3. **भविष्य की कार्य योजना :**
   शून्य

4. **वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय निम्नलिखितानुसार है :**

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	2009–2010	2008–2009
क.	पूंजी	3.70	शून्य
ख.	आवर्ती	शून्य	शून्य
	जोड़	3.70	शून्य
	कुल कारोबार की प्रतिशतता (%) के रूप में कुल अनुसंधान और विकास खर्च का जोड़	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन और परिवर्तन :**
   आयातित प्रौद्योगिकी :

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	समावेशन की स्थिति
	शून्य	

6. **विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय :**

(लाख रु. में)

विवरण	2009–10	2008–09
विदेशी मुद्रा का अर्जन	1347.61	3084.93
विदेशी मुद्रा का व्यय		
विदेशी यात्रा व्यय	29.40	28.25

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(श्री विवेक सहाय)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7 सितम्बर, 2010

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–III
कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

कॉरपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का उद्देश्य पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन करना है, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ाना है। आईआरसीटीसी का मानना है कि अच्छे शासन के लिए प्रबंधन के पास ट्रस्टीशिप, सशक्तीकरण और जवाब देही की भावना के साथ–साथ सरकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक और पहल कदमी वाला रूख होना चाहिए।

आईआरसीटीसी को रेल मंत्रालय द्वारा मई, 2008 से मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है।

मिनी रत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को निवेश करने और परिचालनिक निर्णय लेने में स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता प्राप्त होती है। अब, निदेशक मंडल को नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण और उपस्करों की खरीद आदि पर सरकार के अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए अथवा इसके समतुल्य मूल्य की राशि जो भी कम हो, खर्च करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

भारत में संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियां स्थापित करने के लिए एक परियोजना पर उसके मूल्य की 15 प्रतिशत लेकिन 500 करोड़ रुपए तक इक्विटी निवेश करने की अनुमति है। ऐसे निवेश पर सभी परियोजनाओं पर कुल निवेश उसके कुल मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित है।

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कंपनी ने कॉरपोरेट संचालन, प्रकटन अपेक्षाओं की शर्तों का पालन किया है जो नीचे दर्शाई गई हैं।

2. बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2010 को निदेशक बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक, तीन कार्यरत निदेशक और दो सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक तथा चार अंशकालिक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक हैं।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार हमारे बोर्ड की शक्ति तीन निदेशकों से कम अथवा 12 निदेशकों से अधिक नहीं होगी। निदेशक चाहे पूर्ण कालिक हों अथवा अंशकालिक।

श्री विवेक सहाय, सदस्य यातायात, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड श्री श्रीप्रकाश के स्थान पर जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद से मुक्त हो गए, 14.01.2010 को कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने।

कॉरपोरेशन में निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन संगम अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

श्री सुनील माथुर, कार्यपालक निदेशक (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय ने श्री अशोक कुमार के कार्यपालक निदेशक (प.एवं खा.) के पद से स्थानांतरित होने के कारण जो आईआरसीटीसी के निदेशक के पद से कार्यभार मुक्त हो गए थे, के स्थान पर 14.01.2010 को कॉरपोरेशन के सरकारी निदेशक का कार्यभार संभाला।

श्रीमती मनी आनन्द, कार्यपालक निदेशक (प.एवं.खा.) ने श्री सुनील माथुर जो कार्यपालक निदेशक (प.एवं. खा.), रेलवे बोर्ड के पद से स्थानातंरण के कारण निदेशक के पद से कार्यभार मुक्त हो गये, के स्थान पर 14.05.2010 को सरकारी निदेशक का कार्यभार संभाला।

निदेशकों की आयु एवं कार्य अवधि :

प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी प्रबंध निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है :

प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा अधिवर्षिता

की आयु तक अथवा भारत सरकार द्वारा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों की कार्यावधि निम्नलिखित है :

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में शामिल होने की तारीख	अधिवर्षिता /कार्य अवधि के पूरा होने की तारीख
कोटि	पदनाम			
पूर्णकालिक निदेशक	प्रबंध निदेशक	राकेश कुमार टंडन	05.01.2009	04.01.2014
	निदेशक (प.एवं वि.)	डॉ. नलिन सिंघल	02.01.2007	01.01.2012
	निदेशक (खा.से.)	श्री विनोद अस्थाना	26.06.2007	25.06.2012
	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्त	06.09.2008	05.09.2013
सरकारी नामित	सदस्य यातायात	श्री विवेक सहाय	14.01.2010	30.06.2011 (अधिवर्षिता
	निदेशक	श्री नरेश सलेचा	04.10.2006	जब तक राष्ट्रपति चाहें
	निदेशक	श्री सुनील माथुर	14.01.2010	जब तक राष्ट्रपति चाहें 14.05.2010 से कार्यभार मुक्त
अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	श्री जगदीप सिंह छोकर	28.05.2008	27.05.2011
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	28.05.2008	27.05.2011
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आर.एन.भारद्वाज	22.01.2009	21.01.2012
	स्वतंत्र निदेशक	श्री आर.के.अग्रवाल	22.01.2009	21.01.2012

*श्रीमती मनी आनन्द ने 14.05.2010 से सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

3. बोर्ड की बैठकें और उनमें उपस्थिति :

बोर्ड की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं। बैठकों की तारीख का निर्णय काफी समय रहते ले लिया जाता है और सूचना बोर्ड का विस्तृत कार्यवृत्त और बोर्ड के लिए अन्य व्याख्यात्मक नोट निदेशकों के बीच परिपत्रित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की कॉरपोरेशन की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
(i)	अंशकालिक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष			
1.	सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री श्रीप्रकाश (31.12.2009)	3	जी हाँ
		श्री विवेक सहाय (14.01.2010 से अब तक)	1	उपलब्ध नहीं
(ii)	कॉरपोरेशन के कार्यरत निदेशक			
2.	प्रबंध निदेशक	श्री राकेश कुमार टंडन	4	जी हाँ
2.	निदेशक (टीएण्डएम)	डॉ. नलिन सिंघल	4	जी हाँ
4.	निदेशक (सीएस)	श्री विनोद अस्थाना	3	जी हाँ
5.	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्त	4	जी हाँ
(iii)	रेल मंत्रालय द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक			
6.	निदेशक	श्री नरेश सलेचा	2	जी हाँ
7.	निदेशक	श्री अशोक कुमार	3	जी हाँ
		श्री सुनील कुमार	1	जी नहीं
(iv)	स्वतंत्र अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक			
8.	निदेशक	श्री जगदीप सिंह छोकर	3	जी हाँ
9.	निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	3	जी हाँ
10.	निदेशक	श्री आर. एन. भारद्वाज	3	जी नहीं
11.	निदेशक	श्री आर. के. अग्रवाल	4	जी हाँ

टिप्पणियां :

1. 'अंशकालिक सरकारी' पद सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा आईआरसीटीसी के बोर्ड के उन मनोनीत निदेशकों को सूचित करता है जो रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं।
2. 'अंशकालिक गैर–सरकारी' पद उन निदेशकों को सूचित करता है जो स्वतंत्र हैं और सरकार में कोई पद धारण नहीं करते हैं।

   वित्तीय वर्ष 2009–2010 के दौरान, निदेशक बोर्ड जून, 2009, सितंबर, 2009, दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 को समाप्त प्रत्येक तिमाही में एक बैठक करके कार्यसम्पादन करने के लिए 4 बार मिला। निदेशक बोर्ड की सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई। निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में, अनुपस्थिति छुट्टी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 283 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत मंजूर की गई। आईआरसीटीसी के बोर्ड की बैठक की तारीखों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	बोर्ड बैठक	बैठक की तारीख
1.	42वीं	23 जून, 2009
2.	43वीं	25 अगस्त, 2009

क्र.सं.	बोर्ड बैठक	बैठक की तारीख
3.	44वीं	24 नवम्बर, 2009
4.	45वीं	25 मार्च, 2010

नाम	कोटि	अन्य जगहों	समिति सदस्यता	समिति की अध्यक्षता
श्री श्रीप्रकाश*	अंशकालिक अध्यक्ष	2	शून्य	शून्य
श्री विवेक सहाय	अंशकालिक अध्यक्ष	2	शून्य	शून्य
श्री राकेश कुमार टंडन	प्रबंध निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	1	शून्य	शून्य
डॉ. नलिन सिंघल	निदेशक (प.एवं वि.) (पूर्ण कालिक निदेशक)	1	1	शून्य
श्री विनोद अस्थाना	निदेशक (खा.से.) (पूर्ण कालिक निदेशक)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री विश्व रंजन गुप्त	निदेशक (वित्त) (पूर्ण कालिक निदेशक)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री नरेश सलेचा	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	1	1	शून्य
श्री अशोक कुमार*	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सुनील माथुर*	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती मनी आनन्द	अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री जगदीप सिंह छोकर	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आलोक शिवपुरी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर.एन.भारद्वाज**	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	11	7	5
श्री आर.के.अग्रवाल	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	1	1	शून्य

***वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान निदेशक के पद से कार्यभार मुक्त हो गए।**

****प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निदेशक की हैसियत को इसमें शामिल नहीं किया गया।**

4. लेखापरीक्षा समिति

आईआरसीटीसी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि नैतिकता किसी कारोबार का नींव का पत्थर है और लम्बी अवधि के कॉरपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दृष्टि से, कंपनी के पास निदेशक बोर्ड की ऐसी योग्य एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है जिसमें वित्त तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सभी गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति ने कुशलतापूर्वक कार्यनिष्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रिपोर्ट की तारीख को लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1. श्री विनोद अस्थाना, निदेशक, (खानपान सेवाएं)
2. श्री जगदीप एस. छोकर, निदेशक
3. श्री आलोक शिवपुरी, निदेशक
4. श्री आर.एन.भारद्वाज, निदेशक
5. श्री आर.के.अग्रवाल, निदेशक

श्री आर.एन. भारद्वाज समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राकेश गोगिया, कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

समिति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट शासन के दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियमों के अधीन संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करती है। समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और बोर्ड को सिफारिश करना ;
- आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करना;
- लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में उनके कारणों सहित परिवर्तनों पर विचार करना;
- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि में शर्तों के बारे में विचार–विमर्श करना;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा करना;

समिति ने वित्तीय वर्ष 2009–2010 के दौरान 25.08.2009, 24.11.2009 और 09.03.2010 को तीन बार बैठकें की :

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर.एन.भारद्वाज	अध्यक्ष	3	3
श्री विनोद अस्थाना	सदस्य	3	2
श्री जगदीप एस. छोकर	सदस्य	3	2
श्री आलोक शिवपुरी	सदस्य	3	2
श्री आर.के.अग्रवाल	सदस्य	3	3

5 निदेशकों का पारिश्रमिक

आईआरसीटीसी, कंपनी अधिनियम के अधीन सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी होने पर, कंपनी के कार्यरत निदेशक रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार नियुक्त कार्यरत निदेशक वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

वर्ष 2009–10 के दौरान निगम ने अपने पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार भुगतान किया है :–

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते और परिलब्धियां	79.21	27.81
उपदान	2.19	1.31
अवकाश वेतन	3.34	2.97
रेलवे को दिया गया इतर सेवा अंश	2.82	0.64
कुल	87.56	32.73

कंपनी के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा मनोनीत) बोर्ड निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अशंकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) कंपनी के बोर्ड निदेशकों को 24 मार्च, 2009 तक प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने पर 5000/–रु. प्रति बैठक का भुगतान किया गया, उसके बाद बैठक की फीस बढ़ाकर 10,000/– प्रति बैठक कर दी गई है।

6. प्रकटन

I. सामान्यतः कंपनी के साथ संभावित लाभ रखने वाला कोई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी से संबंधित लेनदेन नहीं हुआ है।

II. पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनाल्टी नहीं लगाई गई है।

III. कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट शासन पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूरी तरह से पहल की है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण एवं नीति संहिता विकसित की तथा वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए निदेशक रिपोर्ट में कॉरपोरेट शासन एवं प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट भी शामिल की है।

IV. वित्तीय वर्ष 2009–2010 के दौरान दूसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में कंपनी को राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुए हैं।

V. आईआरसीटीसी के बही खातों में नामे डाली गई खर्च की सभी मदें आईआरसीटीसी को सौंपे गए कारोबार के प्रयोजन के लिए है और कारोबार से सबंधित है।

VI. निदेशक बोर्ड के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं है, सिवाए जो संविदागत बाध्यताओं के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं।

7. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्षिक रिपोर्ट आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.com पर प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न विभागों की निविदाएं, अन्य सरकारी प्रेस रिलीज के साथ आईआरसीटीसी की वित्तीय योजना और वास्तविक रूप से दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्यौरा भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। खानपान सेवाएं, रेल टिकटिंग सेवाएं आदि जैसी अग्रणी सेवाप्रदाता के रूप में भूमिका निभाने के अनुसार, आईआरसीटीसी ने कॉरपोरेट संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए। वेबसाइट को पूर्णतया पुनः तैयार कर दिया गया है और हिंदी रूपांतर भी जोड़ दिया गया है।

8. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट शासन के सिद्धातों के अनुसार आईआरसीटीसी के कारोबार मॉडल, जोखिम प्रोफाइल तथा अत्यधिक उचित उपायों, जिनमें वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, के बारे में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। व्यवहार के तौर पर बोर्ड में नए निदेशक का कार्यभार संभालने पर कंपनी से संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन एवं अंतर्नियम, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन शामिल हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए उनके कर्त्तव्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता भी बनाई है।

9. विसिल ब्लोअर पॉलिसी

इस समय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कंपनी में एक तंत्र की स्थापना की गई है जिससे मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक को सीधे किसी अनैतिक कार्य के बारे में वास्तव में अथवा संदेहास्पद छलकपट के बारे में रिपोर्ट की जा सकती है।

10. कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता

आईआरसीटीसी के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के बाद, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आईआरसीटीसी की मूल उपयोगिता के साथ अपनी कारोबार आचरण एवं नीति–संहिता निर्धारित की है।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर की गई है।

बालिका शर्मा एण्ड एसोसियट
(कंपनी सचिव)

पता : फ्लेट नं. 211, पॉकेट ए/3,
सेक्टर–7, राहिणी, नई दिल्ली–110085
फोन : 011–27931217
मोबाइल : 9811387946
Email : balikasharma@gmail.com

निगम शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हमनें, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगम शासन 2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा उल्लिखित, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निगम शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगम शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। कंपनी द्वारा निगम शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं और उन्हें लागू करने तक का ही हमारी जांच का दायरा रहा है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप कम्पनी ने निगम शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी की व्यवहार्यता के लिए न तो किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा निपटाए गए कंपनी के मामलों के संबंध में उनकी दक्षता या सक्रियता का प्रमाण है।

कृते बालिका शर्मा एण्ड एसोसिएट्स

बालिका शर्मा
स्वामित्व
कंपनी सचिव
सी.पी.नं.3222
एम. नं. 4816

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 सितंबर, 2010

सर्विस टैक्स न॰ : **AMAPS 9564 KST 001;** प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र न॰ : **3222**

एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

प्रधान कार्यालय : 8–ए/4 पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, करोलबाग,
नई दिल्ली–110005 फोन : 25746813, 9313702220
ई–मेलः mljotwani@gmail.com, mljotwani@hotmail.com

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड.

1. हमने इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि–लेखा और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें कॉरपोरेट आफिस, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय और मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नै, सिकंदराबाद व कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, और नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) स्थित रेलनीर संयंत्रों के लेखा शामिल किए गए हैं जिनकी हमने लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधतंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में यथालागू एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गयी अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम यह स्पष्ट करते हैं किः–

   (i) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

   (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी हैं।

   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और कैश फ्लो खाता बहियों से मेल खाते हैं।

   (iv) कंपनी ने सूचित किया है कि कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (i) (छ) के प्रावधान सरकारी

कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

(v) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 211 की उप–धारा 3 (ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण, के साथ पठित उन पर दी गयी टिप्पणियाँ यथा अपेक्षित रूप में कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित मामलों में वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2010 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में,

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का, लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, और

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कैश फ्लो का, कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

हस्ता. / –
(एम.एल.जोतवानी)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 9604
फर्म पंजी. नं. 000229एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 07 सितम्बर, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अनुबंध

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिव) ब्यौरा और अचल परिसंपत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रखा है।

   (ख) कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की यह एक प्रणाली है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं।

   (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अचल संपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

हम आगे यह भी सुझाव देते है कि उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों पर अंकन किया जाए –

2. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों से वर्ष के दौरान कोई ऋण ग्रहण नहीं किया है।

   (ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों को वर्ष के दौरान कोई ऋण मंजूर नहीं किया है।

3. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, घटक, पैकिंग सामग्रियों, संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों सहित भण्डार, कच्चे माल की खरीद और सामान की बिक्री तथा सेवाओं के संबंध में कंपनी के आकार के अनुरूप और इसके कारोबार के स्वरूप आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियाँ पर्याप्त हैं।

4. हमें बताए गए अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आने वाली पार्टियों से 5,00,000/–रु. से अधिक कोई लेन–देन नहीं था।

5. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के उपबंधों अथवा किसी अन्य संबंधित उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन नियंत्रित पब्लिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

6. वर्ष के दौरान बाहर की एक एजेंसी ने आंतरिक आडिट किया है। हमारी राय में कंपनी की आंतरिक आडिट प्रणाली इसके आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है।

7. हमारी राय और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार ने लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निर्धारित नहीं की है।

8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, उपकर, सेवा कर और अन्य लागू सांविधिक राशि शामिल हैं, नियमित रुप से जमा कराती है और 31 मार्च, 2010 को सांविधिक देयता की कोई अविवादित राशि, बकाया नहीं थी।

9. कंपनी ने चालू वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में नकद राशि की हानि नहीं उठाई है तथा 31 मार्च,

2010 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में संचित नकदी की कोई हानि नहीं हुई है।

10. कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 1441 लाख की सावधि जमा में से 1250 लाख रु. का अस्थायी ऋण लिया है जिसका भुगतान कर दिया गया था, अतः डिफाल्ट का प्रश्न ही नहीं उठता।

11. कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकार नहीं किया है।

12. चूंकि कंपनी चिट फंड, निधि, परस्पर लाभ निधि अथवा सोसाइटी नहीं है, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदेश, 2003) के खंड 4(xiv) का उपबंध कंपनी के लिए लागू नहीं है।

13. चूंकि कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेन–देन अथवा व्यवसाय नहीं कर रही है, कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट आदेश, 2003) खंड 4(iv) का उपबंध कंपनी के लिए लागू नहीं है।

14. कंपनी ने अपने व्यवसायिकों और सहायकों की ओर से गारंटियाँ नहीं दी हैं।

15. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

16. दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लम्बी अवधि के इस्तेमाल के लिए कोई कम अवधि का ऋण नहीं लिया है।

17. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

18. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धन राशि प्राप्त नहीं की है।

20. निष्पादित की गई आडिट प्रक्रिया के और प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए किसी भी जालसाजी का पता नहीं चला है और न ही किसी ने रिपोर्ट किया है।

कृते एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

हस्ता./–
(एम.एल.जोतवानी)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 9604
फर्म पंजी. नं. 000229एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 07 सितम्बर, 2010

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(लाख रु. में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2010 को राशि	31 मार्च, 2010 को राशि	31 मार्च, 2009 को राशि	31 मार्च, 2009 को राशि
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	I		2,000.00		2,000.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	II		14,275.66		9,445.81
आस्थगित कर देयता (शुद्ध) *(अनुसूची XXV में टिप्पणी 19 देखें)*			–		186.70
जोड़			**16,275.66**		**11,632.51**
निधियों का उपयोग					
अचल परिसम्पित्तियाँ	III				
सकल ब्लाक		12,683.74		7,636.09	
घटाएँ : मूल्यह्रास		4,613.58		3,423.54	
शुद्ध ब्लाक		8,070.16		4,212.55	
जोड़ें : पूंजीगत चालू कार्य		759.99	8,830.15	995.84	5,208.39
निवेश	IV		250.20		250.20
आस्थगित कर परिसम्पित्तियाँ *(अनुसूची XXV में टिप्पणी 19 देखें)*			93.89		–
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	V	0.12		0.12	
वस्तुसूचियाँ	VI	778.83		519.19	
फुटकर देनदारियाँ	VII	23,231.94		23,972.02	
नकद तथा बैंक शेष	VIII	19,800.43		13,732.94	
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	IX	472.41		448.04	
ऋण व अग्रिम	X	16,231.08		13,348.30	
		60,514.81		52,020.61	
घटाएँ : चालू देयताएँ एवं प्रावधान	XI				
चालू देयताएँ		47,852.94		38,334.64	
प्रावधान		5,560.46		7,512.05	
		53,413.40		45,846.69	
शुद्ध चालू परिसम्पित्तियाँ			7,101.42		6,173.92
बट्टे खाते न डाले गए अथवा समायोजित न की गई सीमा तक विविध व्यय			–		–
जोड़			**16,275.66**		**11,632.51**
इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ। से XXV तक अनुसूचियाँ लेखा की आंतरिक भाग बनती है	XXV				

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
एम. नं. 9604			
फर्म पंजी. नं. 000229एन			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 सितम्बर, 2010

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

लाभ व हानि लेखा 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार (लाख रु. में)

		अनुसूची	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
आय				
बिक्री		XII	16,731.56	14,954.29
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से प्राप्त आय		XIII	11,206.97	7,480.56
लाइसेंसी खानपान सेवाओं से प्राप्त आय		XIV	36,791.40	34,102.21
पर्यटन से आय		XV	4,472.54	2,793.58
सावधि जमा और स्रोत पर कर की कटौती (सकल) पर ब्याज की आमदनी (स्रोत पर कर की कटौती 175.17 लाख रू. (पिछले वर्ष 212.41 लाख रू..)			1541.78	1,159.93
अन्य आय		XVI	1,452.38	1,386.11
	क		**72,196.63**	**61,876.68**
व्यय				
उपभोग की गई सामग्री		XVII	10,754.06	9,424.86
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी		XVIII	(179.62)	4.85
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय		XIX	27,415.35	23,000.65
पर्यटन का व्यय		XX	4,128.72	2,510.38
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष व्यय		XXI	2,520.68	2,484.47
मानव संसाधन लागत		XXII	12,712.76	12,117.96
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय		XXIII	4,113.99	4,125.13
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय			–	–
मूल्यह्रास		III	1,254.73	1,010.36
	ख		**62,720.67**	**54,678.66**
पिछले वर्षों से सम्बन्धित लाभ	ग	XXIV	–	(186.58)
कर पूर्व लाभ	(क–ख–ग)		**9,475.96**	**7,384.60**
घटाएं :				
आयकर के लिए प्रावधान			3,451.33	2,741.91
सीमांत (फ्रिन्ज) लाभ कर के लिए प्रावधान			–	64.85
आस्थगित कर (अनुसूची XXV में टिप्पणी 19 देखें)			(280.59)	(72.27)
कर पश्चात लाभ			**6,305.22**	**4,650.11**
अग्रानीत लाभ			954.11	893.22
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ			**7,259.33**	**5,543.33**
विनियोजन				
लाभांश – अंतरिम			400.00	400.00
– अंतिम			861.05	531.00
लाभांश पर कर			214.32	158.22
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण			4,500.00	3,500.00
आरक्षित निधि और अधिशेष के लिए लाभ (तुलन–पत्र)			**1,283.96**	**954.11**
प्रतिशेयर आय (10/– रू. प्रतिशेयर का अंकित मूल्य)				
मूल (रु. में)			**31.53**	**23.25**
तनुकृत (रु. में)			**31.53**	**23.25**
प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ		XXV		

I से XXV तक अनुसूचियाँ लेखा की आंतरिक भाग बनाती हैं।
इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव

एम. नं. 9604
फर्म पंजी. नं. 000229एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 सितम्बर, 2010

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

(लाख रु. में)

	2009-10		2008-2009	
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मदें समायोजन	9,475.96		7,384.60	
मूल्यह्रास	1,254.73		1,010.36	
बेची गई परिसपत्ति पर हानि	13.68		8.75	
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय	–		–	
बेची गई परिसंपत्तियों पर लाभ	–		–	
ब्याज आय	(1,541.78)		(1,159.95)	
समायोजनों का जोड़	(273.38)		(140.84)	
चालू पूंजीगत परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ	9,202.58		7,243.76	
चालू पूंजीगत परिवर्तन				
वस्तु–सूचियों में कमी/ (वृद्धि)	(259.64)		54.00	
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	(4,454.38)		(7,516.55)	
ट्रेड देय एवं प्रावधान	10,319.61		6,182.84	
परिचालन से अर्जित कैश	14,808.17		5,964.05	
विविध व्यय (आस्थगित राजस्व)	–		–	
पिछले वर्ष का आयकर	–		–	
प्रत्यक्ष प्रदत्त कर	(4,102.67)		(2,042.88)	
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध कैश		10.705.50		3.921.16
(ख निवेश वाले कार्यकलापों से कैश फ्लो				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(5,076.92)		(2,272.37)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	10.71		12.93	
जेवी कंपनी में निवेश	–		(250.00)	
प्राप्त ब्याज	1,517.42		1,363.41	
निवेश वाले कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध कैश		(3,548.79)		(1,146.03)
(ग) वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
लाभांश प्रदत्त (लाभांश पर कर सहित)	(1,089.22)		(719.52)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से शुद्ध कैश		(1,089.22		(719.52)
कैश और कैश तुल्यों में शुद्ध परिवर्तन		6,067.49		2,055.62
कैश और कैश तुल्यों का प्रारंभिक शेष		13,732.94		11,677.32
कैश और कैश तुल्यों का अंतशेष (कैश और बैंक शेषों द्वारा प्रस्तुत)		19,800.43		13,732.94

टिप्पणियां :

1. कोष्ठक में आंकडे कैश आउट फ्लो सूचित करते हैं।
2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां (अनुसूची XXV) कैश फ्लो विवरण का अनिवार्य अंग बनती हैं।
3. पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहित किया गया है।

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
एम.एल. जोतवानी
पार्टनर
एम. नं. 9604
फर्म पंजी. नं. 000229एन

हस्ता./–
राकेश कुमार टंडन
प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
वी. आर गुप्ता
निदेशक (वित्त)

हस्ता./–
राकेश गोगिया
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 सितम्बर, 2010

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
तुलन–पत्र के बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2010 को राशि	31 मार्च, 2009 को राशि
अनुसूची– I		
शेयर पूंजी		
अधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
(पिछले वर्ष प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर	2,000.00	2,000.00
(पिछले वर्ष 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर)	**2,000.00**	**2,000.00**
अनुसूची– II		
आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
क. सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	8,491.70	4,991.70
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	4,500.00	3,500.00
	12,991.70	**8,491.70**
ख. लाभ एवं हानि खाता		
प्रारंभिक शेष	954.11	893.22
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	329.85	60.89
	1,283.96	**954.11**
आरक्षित निधि एवं अधिशेष (क + ख)	**14,275.66**	**9,445.81**

अनुसूची— III

(i) अचल परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2009 को मूल लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी / बिक्री	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार लागत	1 अप्रैल, 2009 तक	2009—2010 वर्ष में	कमियों / बिक्री पर मूल्यह्रास	31 मार्च, 2010 तक	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
पट्टे पर भूमि*	61.28	–	–	61.28	–	–	–	–	61.28	61.28
पट्टे पर—कार्यालय विकास	568.42	185.37	2.55	751.24	199.28	94.79	–	294.07	457.17	369.14
भवन—फैक्टरी—पट्टे पर	354.00	–	–	354.00	58.17	11.81	–	69.98	284.02	295.83
भवन—कार्यालय— पट्टे पर	69.77	–	–	69.77	6.19	1.13	–	7.32	62.45	63.58
संयंत्र एवं मशीनरी	1,321.20	281.64	–	1,602.84	425.70	142.10	–	567.80	1,035.04	895.50
औजार एवं संयंत्र	0.88	–	0.64	0.24	–	–	–	–	0.24	0.88
कम्प्यूटर	2,725.26	361.53	38.55	3,048.24	1,779.67	466.56	31.90	2,214.33	833.91	945.59
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	508.59	48.55	12.79	544.35	253.14	61.26	11.00	303.40	240.95	255.45
कार्यालय उपकरण	667.19	289.23	37.21	919.21	242.02	197.15	21.66	417.51	501.70	425.17
वातानुकूलक	199.05	15.38	0.52	213.91	62.68	20.16	0.13	82.71	131.20	136.37
पट्टे पर—आवासीय फ्लेट	248.50	–	–	248.50	2.50	8.28	–	10.78	237.72	246.00
अप्रत्यक्ष संपत्ति	911.95	148.64	–	1,060.59	394.19	231.57	–	625.76	434.83	517.76
लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन	–	3,809.57	–	3,809.57	–	19.92	–	19.92	3,789.65	–
जोड़	**7,636.09**	**5,139.91**	**92.26**	**12,683.74**	**3,423.54**	**1,254.73**	**64.69**	**4,613.58**	**8,070.16**	**4,212.55**
पिछले वर्ष	**6,137.97**	**1,544.65**	**46.53**	**7,636.09**	**2,438.03**	**1,010.36**	**24.84**	**3,423.54**	**4,212.55**	**3,699.95**

(ii) पूंजीगत चालू कार्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2010 को	31 मार्च, 2009 को
बजट होटल परियोजना	29.16	25.77
इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय	6.41	–
रेलनीर संयंत्र—नांगलोई	3.96	–
रेलनीर संयंत्र—चैन्ने	652.49	183.58
रेलनीर – पश्चिम जोन	13.00	7.49
रेलनीर – दानापुर	43.00	–
आर आर – अहमदाबाद	4.99	–
वी आर आर – चैन्ने	0.72	–
बेस किचन – चैन्ने	1.25	–
सेल किचन – बंगलोर	5.01	–
कॉरपोरेट कार्यालय	–	779.00
जोड़ (ii)	**759.99**	**995.84**
पिछले वर्ष	**995.84**	**90.58**
अचल परिसंपत्तियों का जोड़ (i) + (ii)	**8,830.15**	**5,208.39**

टिप्पणी : *आईआरसीटीसी ने 99 वर्ष की अवधि के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट बजट होटल स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से पट्टे पर भूमि प्राप्त की है।

तुलन–पत्र के बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ (लाख रु. में)

		31 मार्च, 2010 को राशि		31 मार्च, 2009 को राशि
अनुसूची— IV				
निवेश				
लम्बी अवधि के निवेश				
संयुक्त उद्यम इक्विटी में निवेश (25,00,000 शेयरों का मूल्य 10/–रू. प्रति शेयर)		250.00		250.00
रॉयल इंडियन रेल टुअर लिमिटेड				
नॉन ट्रेड, एट कॉस्ट				
राष्ट्रीय बचत पत्र–VIII वाँ इश्यू 6 वर्षीय		0.20		0.20
(प्रतिभूति के रूप में बिक्री कर कार्यालय के पास गिरवी रखा गया)		250.20		250.20
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम				
अनुसूची— V				
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज				
ब्याज प्रोद्भूत परन्तु राष्ट्रीय बचत पत्रों पर प्राप्य नहीं		0.12		0.12
		0.12		0.12
अनुसूची— VI				
वस्तुसूचियाँ				
(प्रबंधन द्वारा लिए गए, मूल्यांकित और प्रमाणित किए गए के रूप में)				
कच्चा माल		200.79		120.78
तैयार माल		426.78		241.65
ट्रेडिंग माल–पीडी मदें		151.26		156.76
		778.83		519.19
अनुसूची - VII				
फुटकर देनदार				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए शोध्य माना गया)				
- छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण				
शोध्य माना गया	15,108.50		14,975.11	
संदिग्ध माना गया	68.34		1.20	
(क)	15,176.84		14,976.31	
- अन्य ऋण				
शोध्य माना गया	8,123.44		8,996.91	
संदिग्ध माना गया	–		–	
(ख)	8,123.44		8,996.91	
जोड़ (क+ख)	23,300.28		23,973.22	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	68.34	23,231.94	1.20	23,972.02
		23,231.94		23,972.02
अनुसूची - VIII				
नकद एवं बैंक शेष				
(i) हस्तगत रोकड़		111.64		144.37
(ii) पारगमन में प्रेषण		2.00		7.00
(iii) चालू खाते में अनुसूचित बैंको में शेष		2,671.30		1,948.31
(iv) आवाधिक एवं सावधि जमा में अनुसूचित बैंको में शेष		17,015.49		11,633.26
(बैंक गारंटी के संबंध में न्यूनतम राशि के रूप में 8.24 लाख रू. रखे गए है, पिछले वर्ष 21.06 लाख रु.)		19,800.43		13,732.94
अनुसूची - IX				
अन्य चालू परिसम्पतियाँ				
ब्याज प्रोद्भूत परंतु अनुसूचित बैंकों में आवधिक एवं		472.41		448.04
मियादी जमा पर प्राप्त नहीं		472.41		448.04

तुलन–पत्र के बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ (लाख रु. में)

		31 मार्च, 2010 को राशि		31 मार्च, 2009 को राशि
अनुसूची– X				
ऋण एवं अग्रिम				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए अप्रतिभूत शोध्य माना गया)				
नकद अथवा किस्म के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम				
शोध्य माना गया	2,341.56		1,199.04	
संदिग्ध माना गया	–		–	
	2,341.56	2,341.56	1,199.04	1,199.04
फ्लैटों के निर्माण के लिए भारतीय रेल को		869.34		678.33
पूंजी अग्रिम व भूमि प्रतिभूति एवं अन्य निक्षेप :				
– सरकार /सांविधिक निकायों के पास	8,622.90		4,682.14	
– अन्य के पास	26.82	8,649.72	19.45	4, 701.59
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर		4,301.39		6,470.51
अग्रिम फ्रिंज लाभ कर		0.43		143.01
पूर्व प्रदत्त व्यय		68.64		155.82
		16,231.08		**13,348.30**
अनुसूची-XI				
चालू देयताएँ और प्रावधान				
क. चालू देयताएँ				
(i) फुटकर लेनदार				
माल के लिए	1,001.13		3,239.79	
व्यय के लिए	9,088.78		6,685.59	
(एसएसआई को देय राशि– कुछ नहीं)				
(ii) सप्लायरों और लाइसेंसधारकों से निक्षेप				
प्रतिभूति निक्षेप	7,716.32		4,909.82	
अग्रिम धन जमा	2,124.64		2,466.75	
(iii) असमाप्त कन्शेसन फीस, लाइसेंस फीस एवं उपयोगकर्त्ता प्रभार				
असमाप्त कन्सेशन फीस	2,943.69		4,515.74	
असमाप्त लाइसेंस फीस	7,398.27		5,592.98	
असमाप्त उपयोगकर्त्ता प्रभार	23.64		22.62	
(iv) ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त	175.92		848.68	
(v) अन्य चालू देयताएँ				
अन्य देयताएँ	16,981.96		9,805.28	
भुगतान करने योग्य कर	398.59	47,852.94	247.39	38,334.64
ख. प्रावधान				
प्रस्तावित लाभांश	861.05		531.00	
लाभांश कर के लिए प्रावधान	146.34		90.24	
आयकर के लिए प्रावधान	3,451.33		6,271.79	
फ्रिंज लाभ कर के लिए प्रावधान	–		142.57	
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	1,101.74	5,560.46	476.45	7,512.05
जोड़ (क+ख)		**53,413.40**		**45,846.69**

लाभ हानि खाता बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
आय				
अनुसूची— XII				
बिक्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित परंतु बिक्री कर रहित सकल)	2,518.75		1,566.18	
घटाएं : उत्पाद शुल्क	291.73	2,227.02	287.71	1,278.47
2) विभागीय खानपान–				
खाद्य एवं पेय पदार्थो की बिक्री		14,115.89		13,496.74
बेड रोल एवं सफाई से आय		–		117.73
आउट डोर खानपान से आय		388.65		61.35
जोड़ (1 +2)		**16,731.56**		**14,954.29**
अनुसूची— XIII				
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से आय				
अर्जित सेवा प्रभार–भा.रे.टिकटें		11,124.90		7,430.56
लाइसेंस फीस–कॉल सेन्टर से आय		75.00		50.00
संदेश सेवाओं से आय		7.07		–
		11,206.97		**7,480.56**
अनुसूची— XIV				
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं से आय				
क. खानपान एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं से आय				
ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं – राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों से आय		15,329.00		13,899.55
बेड रोल एवं सफाई सेवाओं से आय		1,780.75		2,405.68
		17,109.75		**16,305.23**
ख. कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस आदि से आय				
कन्सेशन फीस से आय		1,770.70		1,875.55
लाइसेंस फीस से आय		16,480.85		14,675.86
उपयोगकर्त्ता प्रभार–फूड प्लाजा से आय		418.71		394.87
लाइसेंस फीस– फूड प्लाजा से आय		1,011.39		850.70
		19,681.65		**17,796.98**
जोड़ (क +ख)		**36,791.40**		**34,102.21**
अनुसूची— XV				
पर्यटन से आय				
यात्रा व टुअर से आय		4,338.07		2,681.99
उपयोगकर्त्ता प्रभार – बजट होटल से आय		76.71		71.69
लाइसेंस फीस –बजट होटल से आय		57.76		39.90
		4,472.54		**2,793.58**
अनुसूची— XVI				
अन्य आय				
निवेशों पर ब्याज		–		0.02
अन्य ब्याज आय		0.27		15.15
विज्ञापन/भारतीय स्टेट बैंक कोब्रान्डेड कार्डों और लॉयल्टी कार्डो से आय		513.52		490.39
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि की फीस से आय		569.37		288.00
वेंडिंग से आय		73.17		114.01
अधिक प्रावधान प्रतिलेखन		8.21		76.87
प्रत्यादेश प्रभार एवं जब्त की गई जमानत जमा		0.45		3.53
संविदाओं की जब्ती पर प्रोद्भूत आय		2.37		151.58
निविदा फार्मों की बिक्री		23.73		25.99
विविध आय		261.29		220.57
		1,452.38		**1,386.11**

लाभ हानि खाता बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
व्यय				
अनुसूची– XVII				
उपभोग की गई सामग्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक	32.07		28.56	
जोड़ें : खरीद और व्यय	1,544.37		1,137.08	
	1,576.44		1,165.64	
घटाएं : अंतिम स्टाक	59.70	1,516.74	32.07	1,133.57
2) विभागीय खानपान				
क) उपभोग किया गया कच्चा माल				
प्रारंभिक स्टाक	88.71		141.38	
जोड़ें : खरीद	4,374.69		3,664.89	
	4,463.40		3,806.27	
घटाएं : अंतिम स्टाक	141.09	4,322.31	88.71	3,717.56
ख) पुनः बिक्री के लिए पीडी मदों की खरीद		4,915.01		4,573.73
जोड़ (1+2)		**10,754.06**		**9,424.86**
अनुसूची– XVIII				
(तैयार माल में वृद्धि / कमी)				
रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक				
तैयार माल	240.93		216.36	
	240.93		216.36	
अंतिम स्टाक				
तैयार माल	426.76	(185.83)	240.93	(24.57)
विभागीय खानपान				
प्रारंभिक स्टाक				
तैयार माल	0.72		0.86	
पीडी मदें	156.77		186.04	
	157.49		186.90	
अंतिम स्टाक				
तैयार माल	0.02		0.72	
पीडी मदें	151.26		156.77	
	151.28	6.21	157.49	29.41
		(179.62)		**4.85**
अनुसूची– XIX				
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय				
क) केटरिंग एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं का व्यय				
ऑन बोर्ड केटरिंग प्रभार–राजधानी व शताब्दी ट्रेनें		15,329.00		13,899.55
सेवा प्रभार – बेड रोल एवं सफाई सेवाएं		1,780.75		2,405.68
		3,372.00		–
		20,481.75		**16,305.23**
ख) कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस, कर्षण आदि का व्यय				
कन्सेशन फीस		265.60		281.53
लाइसेंस फीस		3,095.37		2,913.44
उपयोगकर्त्ता प्रभार – फूड प्लाजा		167.48		157.95
लाइसेंस फीस –फूड प्लाजा		404.56		342.02
कर्षण प्रभार		3,000.00		3,000.00
लाइसेंस फीस प्रदत्त रेल भूमि–फूड प्लाजा		0.59		0.48
		6,933.60		**6,695.42**
जोड़ (क+ख)		**27,415.35**		**23,000.65**

लाभ हानि खाता बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
अनुसूची—XX				
पर्यटन व्यय				
यात्रा व टुअर व्यय		3,988.60		2,418.11
लाइसेंस फीस—बजट होटल		14.44		9.98
उपयोगकर्त्ता प्रभार—बजट होटल		19.17		17.92
लाइसेंस फीस प्रदत्त रेलवे भूमि—बजट होटल		0.04		0.04
अनुरक्षण एवं अन्य प्रभार		106.47		64.33
		4,128.72		2,510.38
अनुसूची—XXI				
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय				
क. रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार		313.72		228.47
लाइसेंस फीस रेलवे भूमि		23.62		29.43
बिजली एवं ईंधन		166.75		134.65
मरम्मत एवं अनुरक्षण—संयंत्र एवं मशीनरी	2.83		7.19	
मरम्मत एवं अनुरक्षण—अन्य	5.16	7.99	3.24	10.43
अन्य प्रत्यक्ष व्यय		14.81		5.28
		526.89		408.26
ख. विभागीय खानपान				
पैकिंग सामग्री, पिसाई, मरम्मत एवं अन्य व्यय		–		2.88
मालभाड़ा आवक लदान और उतराई—केटरिंग		8.93		5.10
खाद्य निरीक्षण व्यय		0.04		2.64
ईंधन		581.53		760.60
बेड रोल एवं सफाई सेवाप्रभार		31.83		199.86
		622.33		971.08
ग. इंटरनेट टिकटिंग				
अनुरक्षण और अन्य प्रभार		688.56		662.36
लायल्टी कार्ड जारी व्यय		30.69		24.58
इंटरनेट उपयोग प्रभार		652.21		418.19
		1,371.46		1,105.13
जोड़ (क + ख + ग)		2,520.68		2,484.47
अनुसूची—XXII				
मानव संसाधन लागत				
क. निदेशक				
निदेशकों का वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रोद्भूत छुट्टी और पेंशन के लिए प्रावधान		87.56		32.73
		87.56		32.73
ख. अन्य				
वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रतिपूर्ति बोनस और प्रोद्भूत छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		7,943.06		8,257.51
– अन्य		1,715.71		1,805.00
भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधियों में अंशदान :				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		1,195.90		970.38
– अन्य		100.11		85.68
मा.सं.वि. और प्रशिक्षण व्यय		23.41		35.75
भर्ती व्यय		5.41		5.30
कर्मचारी कल्याण व्यय		38.10		79.59
परामर्शदाताओं को भुगतान		286.28		193.57
जनशक्ति सहायता प्रभार		1,236.69		577.27
प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे		80.53		75.18
		12,625.20		12,085.23
जोड़ (क + ख)		12,712.76		12,117.96

लाभ हानि खाता बनाने वाले भाग और उसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राशि		31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
अनुसूची– XXIII				
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय				
क. प्रशासनिक व्यय				
सुरक्षा प्रभार		58.71		58.54
स्थानीय वाहन प्रभार		193.93		202.76
यात्रा व्यय :				
निदेशक–स्वदेश	19.54		8.96	
अन्य – स्वदेश	421.45		280.95	
निदेशक–विदेश	3.11		2.20	
अन्य – विदेश	26.29	470.39	26.05	318.16
कार्यालय एवं मरम्मत व्यय		246.01		297.92
किराया दरें और करें :				
कार्यालय किराया		579.23		581.93
शुल्क, दरें एवं करें		40.46		25.17
बिजली और पानी प्रभार		123.30		104.05
बैंक प्रभार		25.24		32.01
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ		22.76		11.34
बीमा व्यय		24.90		27.27
डाक एवं कूरियर प्रभार		27.82		30.10
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		139.51		139.72
टेलीफोन व्यय		195.29		200.07
इंटरनेट एवं लीज्ड लाइन व्यय		4.39		2.18
विविध व्यय		36.08		31.80
चंदा एवं सदस्यता शुल्क		11.45		11.61
दान		3.72		216.05
बैठक एवं सेमिनार व्यय		23.77		14.66
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		4.58		2.72
लेखापरीक्षक आउट ऑफ पॉकिट व्यय		3.55		4.07
आंतरिक लेखा परीक्षा व्यय		4.65		–
प्रदत्त ब्याज–अन्य		5.25		9.69
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय		178.29		143.43
ईआरपी अनुरक्षण प्रभार		166.11		146.85
प्रोसेसिंग शुल्क		2.69		–
अचल परिसंपत्तियों के हटाने/उनकी बिक्री पर हानि		13.68		8.75
		2,605.76		**2,620.85**
ख. बिक्री, वितरण संबंधी व्यय				
विज्ञापन व्यय		374.81		332.86
कारोबार विकास व्यय		59.47		128.26
वैंडरों को प्रदत्त कमीशन		455.55		445.58
ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण व्यय		29.00		40.00
मालभाड़ा, जावक और सीएफए प्रभार		408.27		315.01
डाक व्यय एवं कूरियर प्रभार		114.00		238.52
बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण		–		2.85
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		67.13		1.20
		1,508.23		**1,504.28**
जोड़ (क+ख)		**4,113.99**		**4,125.13**
अनुसूची– XXIV				
पूर्व अवधि की आय/व्यय (शुद्ध) का समायोजन				
पूर्व–अवधि आय		–		250.61
पूर्व–अवधि व्यय		–		64.03
		–		**(186.58)**

अनुसूची – XXV

लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट अनिवार्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

लेखाकरण की विधि

कॉरपोरेशन, परंपरागत लागत कन्वेंशन के अंतर्गत आय के आधार पर बीमा दावा और 1.11.2006 से उन अचल खानपान स्टालों के लाइसेंसधारकों जिनको ठेका रेलों द्वारा दिया गया था, से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस से आय की रिकार्ड बंदी करने के सिवाय लेखाकरण का प्रोद्‌भवन आधार अपना रहा है।

अनुमानों का उपयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और कल्पनाएं करने की अपेक्षा की जाती है जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों व देयतायों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटनों की रिपोर्ट की गई रकम एवं रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रकम को प्रभावित करती है। वास्तविक आकड़े अनुमान से भिन्न हो सकते है। ऐसे अनुमाानों में कोई संशोधन होता है तो उसकी पहचान उनके निर्धारण की अवधि में की जाती है।

राजस्व की पहचान

कॉरपोरेशन केटरिंग सर्विस (चल और अचल दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल और सफाई सेवाएं, विभागीय केटरिंग यूनिटों के परिचालन करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा के परिचालन, स्थायी खानपान स्टालों, एवीएमएस के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंध संभालने, विख्यात टुअर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज टुअरों की व्यवस्था करने, संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंध संभालने, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के कारोबार में लगा है।

1. बिक्री :

जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं तब रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान की जाती है और जहां कहीं लागू है, (ए एस 9) के संदर्भ में शुद्ध उत्पाद शुल्क, वैट आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

2. इंटरनेट टिकटिंग से आय :

इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट–समर्थित पेमेन्ट गेटवे www.irctc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्‌भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है।

3. खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है :–

(क) ऑन बोर्ड (ट्रेन में) खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना।	कांट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना	(ii) कांट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और खानपान नीति, 2005 से पूर्व ठेके पर दिए गए ट्रेनों के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कांट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस। (ii) स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।

5.	रेलवे स्टेशनों पर अचल यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कांट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस. (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है :–

(i) कन्सेशन फीस : राजस्व की पहचान से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस.9.) में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कांट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्‌भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्‌द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

(ii) उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्‌भवन के आधार पर जब तक वे कार्यरत रहे, लेखा में लिया जाता है।

(iii) लाइसेंस फीस :

(क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्‌भूत होने के आधार पर जब तक वे कार्यरत रहे, लेखा में लिया जाता है।

(ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशत्ता के रूप में प्रोद्‌भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशत्ता के रूप में प्रोद्‌भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iv) ठेकों को जब्त करने से प्रोद्‌भूत आय : निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :

(क) ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।

(ख) अन्य आय : ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

4. पैकेज टुअरों से आय :

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूअरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष कोच चार्टरों और शायिकाओं की बुकिंग करने में लगा है। विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतत्ता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूअरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशत्ता के रूप में कॉरपोरेशन सेवा प्रभार सम्मिलित होता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों और बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर की शुद्ध कुल रकम शामिल होती है।

5. टीडीआर सहित सावधि जमाराशियों से ब्याज से आय :

सावधि जमा राशियों और टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

6. ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस

विदेश व्यापार नीति–2004–2009 के अनुसार 'सर्वड् फ्रॉम इंडिया स्कीम' के तहत एक गैर हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस प्राप्त किया गया है। उक्त लाइसेंस का प्रयोग कुछ निर्धारित मदों के लिए सीमा और आयात शुल्क के भुगतान हेतु किया जा सकता है।

व्यय :

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निश्चेय नहीं है, निश्चित हो जाने पर लेखा में लिया जाता है।

1. रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

2. इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :

व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

3. भुगतान किया गया खानपान प्रभार :

(क) ऑनबोर्ड (ट्रेन में) केटरिंग प्रभार : ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :–

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय की निम्नलिखितानुसार पहचान की गई है/उसका लेखा–जोखा किया गया हैः

i) **भुगतान की गई कन्सेशन फीस** : ऑन बोर्ड केटरिंग ठेका, एवीएम, अचल यूनिटों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द /समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

ii) **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार** : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर जब तक वे कार्यरत रहे लेखा में लिया जाता है।

iii) **भुगतान की गई लाइसेंस फीस :**

(क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर जब तक वे कार्यरत रहे लेखा में लिया जाता है।

(ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशत्ता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

iv) **पर्यटन व्यय :**

भारतीय रेल द्वारा 3 उगाहें गए टिकट की कीमत, अन्य प्रभार, यदि कोई हों, और विशेष गाड़ी/कोच चार्टर/बर्थ बुक कराने पर सेवा प्रभारों की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

पूरे टुअर पैकेज और बौद्ध परिपथ विशेष गाड़ी के मामले में, भारतीय रेल द्वारा उगाहे गये टिकट की कीमत, अन्य प्रभार यदि कोई हो, सड़क यात्रा व्यय, आवास एवं भोजन प्रभार आदि की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

4. पूर्व अवधि व्यय

पूर्व अवधि से सम्बन्धित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में 1,00,000/–रू. से अधिक नही होती, उसे चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

नियत परिसम्पत्ति और अस्पष्ट परिसम्पत्ति

i) नियत परिसम्पत्तियों का उल्लेख स्थापना प्रभार और अन्य संबंधित व्यय सहित अधिग्रहण किए जाने की कीमत पर किया जाता है।

ii) कम्पयूटरों के मामले में, कम्पयूटर के साथ खरीदे गये आपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कीमत कम्पयूटर के साथ पूंजीकृत कर दी गई है जबकि, नियमित अपग्रेड और वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों को राजस्व व्यय माना गया है।

iii) कार्यालय परिसर के लिए पट्टाधृति भवनों पर व्यय को लीजहोल्ड ऑफिस डेवलपमेंट के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

iv) अस्पष्ट परिसंपत्तियां अधिग्रहण हेतु किए गए भुगतान पर रिकार्ड की जाती है। पूर्व के वर्षो में कम्पयूटरों के साथ पूंजीकृत किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रभार, वेबपोर्टर, पर्यटन पोर्टल के व्यय को अब इंन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया की विशेषज्ञ सुझाव समिति द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2009 को दिए गए सुझाव के अनुसार अब इन्हें अस्पष्ट शीर्ष के तहत पूंजीकृत किया गया है। अस्पष्ट परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु 4 वर्ष अनुमानित की गई है।

v) खानपान इकाइयों में रखे गए यंत्र एवं संयंत्र को जहां है जैसा है के आधार पर लिया जाता है। चूंकि इन परिसंपत्तियो का मूल्य उपलब्ध नहीं है अतः इनकी वास्तविक पहचान के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते में 1/–प्रति मद के नाम मात्र की कीमत पर इनकी गणना की जाती है।

vi) नियत परिसंपत्ति अनुसूची में लग्जरी टूरिस्ट गाड़ी को "लगज्री टूरिस्ट गाड़ी" के रूप में दिखाते हुए पूंजीकृत किया गया है।

चालू पूंजीगत कार्य

बजट होटलों पर व्यय, पालूर के रेलनीर संयंत्र के बकाया कार्यो को चालू पूंजीगत कार्यो के तहत वर्गीकृत किया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद संबंधित शीर्षो को आबंटित कर दिया जायेगा।

मूल्यह्रास

i. कॉरपोरेशन नांगलोई और दानापुर में स्थित रेलनीर संयंत्रों के भवनों और संयंत्र एवं मशीनरी तथा अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की सीधी पद्धति और अन्य परिसंपतियों के संबंध में ह्रासित मूल्य पद्धति अपना रहा हैं। मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट दरों पर दिया जाता है। मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से यथानुपात के आधार पर परिकलित किया जाता है। वर्ष के दौरान मूल्यह्रास परिसंपतियों की बिक्री, छांटने तथा क्षति होने की तारीख तक दिया जाता है।

ii. जिन विशेष परिसंपत्तियों के अर्जन की वास्तविक लागत वर्ष के दौरान 5000/– रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक नहीं है, उनके मामले में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

iii. पट्टाधृति–कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास किया गया है।

iv. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु 4 साल मानी गई और ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सीधी पद्धत्ति के आधार पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया गया है।

v. लग्जरी पर्यटक गाड़ी पर मूल्यह्रास निम्न कारणों से हुआ है :–

– स्ट्रेट लाइन मेथड पर कोच (बेयर शेल) और आंतरिक साज–सज्जा क्रमशः 4.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 13. 58 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से की गई है जिससे वास्तविक लागत 5 प्रतिशत रेसीड्यूअल वैल्यू रह जाती है।

– लिखित डाउन वैल्यू पर 13.91 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वातानुकूलन पर मूल्यह्रास हुआ है जिससे वास्तविक लागत का 5 प्रतिशत रेसीड्यूअल वैल्यू रह जाती है।

vi लीज होल्ड भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में, भूमि के लीजहोल्ड की अवधि तक के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

वस्तुसूचियाँ :

(i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, मशीन के अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर सेनवेट (CENVAT) का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फीफो (FIFO) के आधार पर घटित होता है।

(iii) तैयार माल और चालू कार्य की लागत में कच्चे माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथालागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।

(iv) पीडी मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फीफो (FIFO) के आधार पर लागत पर किया जाता है।

निवेश :–

लागत रहित प्रावधान, यदि कोई हो, पर लंबी अवधि के निवेश किए जाते हैं ताकि, इस प्रकार के निवेश के मूल्य में स्थायी ह्रास हो।

कर्मचारी लाभ :

(i). उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/देयताएं वर्ष के अन्त में बीमांककात्मक मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती हैं और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

(ii). प्रतिनियुक्त/मानिद प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए इतर सेवा अंशदान–पेंशन और छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान/देयताएं सरकारी नियमों/ विनियमों के अनुसार बनाई जाती है और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित की जाती हैं।

अनुदान

संबंधित परिसंपत्ति की कीमत के लिए विशिष्ट परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में अनुदान समायोजित किए जाते है। राजस्व व्यय के संबंध में अनुदान संबंधित व्यय पर समायोजित किया जाता है।

कराधान :

(i) कॉरपोरेशन ने आस्थगित कराधान को भारतीय सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखाकरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस) 22 के अनुरूप लेखा में दिया है।

वर्ष के लिए बुक लाभ व कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतरों के आधार पर आस्थगित कर उन कर दरों तथा कानूनों को लागू कर लेखा में लिया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। समय के अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान उस उचित निश्चितता की सीमा तक की जाती है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

फुटकर देनदार/अग्रिम :

फुटकर देनदारों/अग्रिमों को अशोध्य के रूप में मान गए ऋणों के बट्टे खाते में डालने के बाद दर्शाया जाता है । संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का नकारा हो जाना :

परिसंपत्तियों के नाकारा हो जाने से संबंधित एएस–28 में यथा वर्णित नकदी सृजन करने वाली इकाइयों की तुलन पत्र तारीख में पहचान की गई जिन्हें ले जाई गई राशि की तुलना में वसूल की जाने वाली राशि तथा परिसंपत्तियों के नकारा होने का रूप में लाभ हानि विवरण में दर्शाया गया है।

विदेश मुद्रा संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को मौजूद विदेशी मुद्रा विनिमय की दर पर किया गया है। जिस उसी दर पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र में तुलनपत्र बनने की तारीख को मौजूद विदेशी मुद्रा विनियम की दर में परिवर्तित करके दर्शाया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ :

(i) कंपनी के विरूद्ध ऋण, लम्बित अपीलीय/न्यायिक निर्णय के रूप में अस्वीकृत दावा। (लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
1.	आयकर	49.13	41.70
2.	बिक्रीकर/वैट*	–	3,137.40
	जोड	49.13	3,179.10

(ii) कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में नहीं लिया जाता है।

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2010 को	31 मार्च 2009 को
1.	बिक्रीकर/वैट	472.88	–
	जोड	472.88	–

*दिल्ली सरकार के मूल्य संवर्धित कर विभाग से 3137.40 लाख रुपए वैट की राशि, जिसमे ब्याज तथा दंड भाामिल है, की मांग की गई थी। इसे माननीय उच्च न्यायालय में यह दलील देकर रिट याचिका के जरिए चुनौती दी गई कि चलती गाड़ियों में यात्रियों को भोजन और पेय की व्यवस्था करना बिक्री है न कि सेवा प्रदान किए जाने के लिए किया गया कोई करार है। वैट के खाते में कुल 7732.76 लाख रुपए बनती है इसके अलावा, उक्त निर्णय के मद्देनजर, सेवा कर विभाग दिल्ली से 3813.56 लाख रुपए वापस लेने के लिए दावा करना होगा। कॉरपोरेशन इस निर्णय को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रही है। बहरहाल, एक विचारशील लेखा नीति के रूप में कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के लिए सेवा कर का समायोजन करके 3919.20 लाख रुपए की वैट राशि का भुगतान कर दिया है।

2. पूंजी खाते पर शुरू किये जाने के लिए शेष संविदा की अनुमानित राशि और पिछले वर्ष के 3064.76 लाख रूपये की तुलना में इस वर्ष 1000.70 लाख रूपये की व्यवस्था नही की गई।

3. निदेशकों पर/द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अनुलाभ	79.21	27.81
उपदान	2.19	1.31
छुट्टी वेतन	3.34	2.97
रेलवे को अदा किया गया एफएससी	2.82	0.64
जोड़	**87.56**	**32.73**

4. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (लाख रु. में)

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2.54	1.82
कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.27	0.90
अन्य कार्यों में	0.77	शून्य
पॉकिट में से व्यय	1.64	1.52
जोड़	**6.22**	**4.24**

5. उत्पादन

(i) रेलनीर – पैक किया गया पीने का पानी (,000 में)

मद विवरण	यूनिट	स्थान	स्थापित क्षमता* (संख्या)		उत्पादन (संख्या)	
			2009–10	2008–09	2009–10	2008–09
रेलनीर पैक किया गया पीने का पानी	1000 मि.लि. की बोतलें	नांगलोई	33354	21582	31940	21110
		दानापुर	24534	21582	22276	16886
जोड़			**57888**	**43164**	**54216**	**37996**

* स्थापित क्षमता तीन–शिफ्ट के आधार पर 327 दिनों के लिए है।

** जनवरी 2010 से रेलनीर संयंत्र दानापुर की स्थापित क्षमता 66000 बोतल प्रतिदिन से बढ़कर 102000 बोतल प्रतिदिन हो गई है।

(ii) विभागीय केटरिंग :–

भारतीय रेलों द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार केटरिंग कार्य–कलापों में लगी हुई विभागीय केटरिंग यूनिटें कुक की गई विभिन्न चीजों को विनिर्मित कर रही हैं। उक्त मेन्यू एक क्षेत्रीय रेलवे से दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में भिन्न–भिन्न होते हैं। चीजों को केवल ग्राहक के आदेश पर विनिर्मित किया जाता है। विनिर्मित की गई किसी विशेष चीज के लिए स्थापित क्षमता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, विनिर्मित की गई चीजें विषम स्वरूप की हैं, इसलिए उत्पादित/विनिर्मित चीजों की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

6. स्टॉक और कुल बिक्री (टर्नओवर) :

(i) रेलनीर – पैक किया गया पीने का पानी

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु.में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य* (लाख रु. में)
2008–09	1000 मि.ली. की बोतलें	3909	240.93	6390	426.76	51735	2227.02
2007–08		3459	216.36	3909	240.93	37896	1278.47

* उत्पाद शुल्क और बिक्री कर रहित बिक्री

(ii) विभागीय केटरिंग :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु.में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य* (लाख रु. में)
2009–10	लागू नहीं	लागू नहीं	157.48	लागू नहीं	151.28	लागू नहीं	14504.54
2008–09	लागू नहीं	लागू नहीं	186.90	लागू नहीं	157.48	लागू नहीं	13558.09

*इसमें पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई पी डी चीजें शामिल। पीडी चीजें, पैक की गई स्थिति में, बाजार से .खरीदी गई और रेलवे स्टेशनों पर बेची गई जैसे नमकीन, बिस्कुट और मिनरल वाटर आदि स्वामित्व वितरण वाली चीजें है,

(iii) विभागीय केटरिंग–बेडरोल एवं सफाई सेवाएं :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)
2009–10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–
2008–09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	117.74

विभागीय केटरिंग यूनिटें उन विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे यात्रियों को खाद्य एवं पेय पदार्थों की सप्लाई में लगी हुई हैं, जहाँ केटरिंग कारोबार को कॉरपोरेशन द्वारा अपने अधिकार में ले लिया है और जो विषम स्वरूप की हैं। इसलिए खरीद, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्टाक के लिए उसकी मात्रा दर्शाते हुए सामान की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है।

चूंकि ठेके संविदागत सेवा के तहत थे अतः ठेकागत बाध्यताओं के कारण लाइसेंसी द्वारा प्रबंधित कुछ गाड़ियों को छोड़कर बेडरोल सेवाएं 01.08.2007 से दिनांक 01.08.07 के पत्र सं.2006/टीजी–III/645/4 के अनुसार कंपनी से हटा ली गई है, इसके अलावा, कुछ गाड़ियों में क्षेत्रीय रेलों ने बेडरोल सेवाएं वापस नहीं ली है, इसके कारण 17.81 करोड़ रु. की आय इस खाते में बुक की गई है।

7. उपयोग किया गया कच्चा माल

(i) रेलनीर

	यूनिट	2009–2010		2008–2009	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रू. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रू. में)
प्रीफार्म्स	संख्या	55866	991.70	38483	739.96
केप्स	संख्या	54982	164.67	38405	128.98
लेबल	संख्या	54656	66.99	39106	46.93
कार्टन्स	संख्या	4603	278.64	3194	207.22
बॉप्प टेप्स	रोल्स	7	14.74	4	10.48
जोड़			**1516.74**		**1133.57**

(ii) विभागीय केटरिंग

	2009–2010		2008–2009	
	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)
उपयोग किया गया कच्चा माल	लागू नहीं	4322.31	लागू नहीं	3717.56

केटरिंग कार्यकलापों में लगी विभागीय यूनिटें भारतीय रेल द्वारा मेन्यू में निर्धारित कुक की गई चीजों को बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की असंख्य वस्तुओं का उपयोग कर रही हैं। उक्त मेन्यू एक क्षेत्रीय रेलवे से दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में भिन्न–भिन्न होता है। उसी प्रकार, अपेक्षित बहुत से कच्चे माल भी भिन्न–भिन्न होते हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएँ विषम स्वरूप की हैं। उपयोग की गई वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना संभव नहीं है।

8. विदेशी मुद्रा में खर्च

(लाख रु. में)

व्यय का स्वरूप	2009–10	2008–09
विदेश यात्रा व्यय–निदेशकों का	3.11	2.20
विदेश यात्रा व्यय–अन्यों का	26.29	26.05
जोड़	**29.40**	**28.25**

9. निदेशक बोर्ड की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य, ऋण और अग्रिम, यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल किए गए तो वह उस राशि से कम नहीं होंगे जो कि तुलन–पत्र में बताए गए हैं। बहरहाल, तुलन–पत्र में यथा उल्लिखित देनदारों का शेष, जिसमें रेलवे देनदारी शामिल है, और लेनदारों के बकाया के पुष्टि की जानी है।

10. कर्मचारियों के लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

1. **उपदान :** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से अलहदगी पर देय उपदान की उच्चतम सीमा 10 लाख रूपए के संबंध में बीमांककात्मक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है।
2. **छुट्टियों का नकदीकरण :** उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, अलहदगी पर देय। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बनाया जाता है।
3. **भविष्य निधि :** कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कारपोरेशन का समानक अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखी गई भविष्य निधि के लिए दिया जाता है। भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।
4. **इतर सेवा अंशदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2009–2010 के लिए प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय इतर सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हित'' पर लेखाकरण मानक (ले.मा.)–15 (संशोधित) के अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(क) बीमांककात्मक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31.03.2010 को	31.03.2009 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	8.30 प्रतिशत	7 प्रतिशत
(ii)	मृत्यु दर	विधिवत आशोधित एलआईसी (94–96)	विधिवत आशोधित एलआईसी(94–96)
(iii)	निकासी दरें (प्रति वर्ष)		
	30 वर्ष तक	3	3
	31 से 44 वर्ष तक	2	2
	44 वर्ष से ऊपर	1	1
(iv)	प्लान आस्तियों पर प्रति–लाभ की अनुमति दर	0	0
(v)	बीमांककात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रास्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेखे में लेते हैं।		

(ख) बीमांककात्मक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांककात्मक विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सर्विस में मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(ग) प्लान परिसंपत्तियाँ

(1) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रु. में)

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
क) अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
ख) अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ग) प्लान परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–	–	–	–
घ) अंशदान	–	–	–	–
ड) प्रदत्त लाभ	–	–	–	–
च) प्लान परिसंपत्तियां पर बीमांककात्मक लाभ/(हानि)	–	–	–	–
छ) अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–

(2) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (लाख रु. में)

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
क) अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
ख) अर्जन समायोजन	–	–		
ग) प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–		
घ) अंशदान	–	–		
ड) प्रदत्त लाभ	–	–		
च) अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	249.67	104.64	567.81	371.81
छ) रखी गई निधि की स्थिति	–	–		
ज) प्लान संपत्तियों पर अनुमानित लाभ पर वास्तविक की अधिकता				

(घ) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
(i)	1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित लाभ बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	104.64	371.81
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	43.74	189.27
(iii)	ब्याज लागत	7.19	25.94
(iv)	बीमांककात्मक लाभ (–) हानि (+)	98.03	(16.75)
(v)	पिछली सेवा लागत	–	–
(vi)	प्रयुक्त लाभ	3.93	2.46
(vii)	31 मार्च, 2010 (i+ii+iii+iv-v-vi) को प्रक्षेपित लाभ बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य **(तुलन पत्र में स्वीकृत रकम)**	249.67	567.81

(ङ) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान :

कंपनी ने उपदान देयताओं को धन नहीं दिया है। इसलिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान नहीं किया जा सका।

(च) 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय :

(लाख रु. में)

क्र. स.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		2009–10	2008–09	2009–10	2008–09
1.	वर्तमान सेवा लागत	43.74	47.94	189.27	181.27
2.	ब्याज लागत	7.19	1.37	25.94	2.91
3.	बीमांककात्मक लाभ (–) हानि (+)	98.03	32.16	(16.75)	136.69
4.	पिछली सेवा लागत	–	3.65	–	9.43
5.	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–
6.	प्रदत्त लाभ	3.93	–	2.46	–
7.	जोड़ (1+2+3+4–5–6)	145.03	85.12	196.00	330.30
8.	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	–	–	–	–
	लाभ व हानि लेखा में प्रभारित	145.03	81.47	196.00	193.72
9.	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–

11. पूर्व अवधि समायोजन

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
आय	–	250.61
व्यय	–	64.03
पूर्व अवधि शुद्ध समायोजन	–	(186.58)

12. माइक्रो, छोटे और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के संदर्भ में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारियों के आधार पर माइक्रो एवं छोटे उपक्रमों को किसी प्रकार की कोई मूल/ब्याज की राशि देय नहीं है।

13. 0.24 लाख (पिछले वर्ष 0.88 लाख) रु. मूल्य के उपकरण एवं संयंत्र जिनकी गणना 1रु. प्रति मद के रूप में की गई है, वे कंपनी के पास हैं। वर्ष के दौरान, 0.64 लाख रु. मूल्य के उपकरण एवं संयंत्र रेलवे को लौटाए गए।

14. वर्ष 2009–2010 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

15. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–18 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए है :–

संबंध का स्वरूप	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रायल इंडिया रेल टुअर लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक 2. डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (टी एण्ड एम) 3. श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (सीएस) 4. श्री वी.आर.गुप्ता, निदेशक (वित्त)

लेखाकरण मानक में यथा परिभाषित, कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वर्ष के दौरान लेन–देन का ब्योरा, निम्नलिखित अनुसार है :–

(लाख रु. में)

क्र. स.	लेन–देन का स्वरूप	संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		31.03.2010 को	31.03.2009 को	31.03.2010 को	31.03.2009 को
1.	निवेश	250.00	250.00	–	–
2.	अग्रिम लीज किराया	1904.79	389.50	–	–
3.	फुटकर ऋण दाता	370.06	–	–	–
3.	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	87.56	32.73

16. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–27–''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार, भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कंपनी का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं नीचे दी गई हैं :–

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का प्रतिशत	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	रायल इंडिया रेल टुअर लिमिटेड	50 प्रतिशत	1423.95	1590.47	92.97	269.67	शून्य	शून्य

17. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ले.मा.28)–''परिसंपत्तियों की हानि'' के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2010 को कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की इम्पेयरमेंट में हानि

के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

18. लेखाकरण मानक (ले.मा.29) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान संबधित प्रकटीकरण निम्नलिखितानुसार है:–

(लाख रु. में)

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		छुट्टी के बदले नकद भुगतान (सेवा निवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान		उपदान (सेवा निवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान		पेंशन के लिए प्रावधान	
	2009–10	**2008–09**	**2009–10**	**2008–09**	**2009–10**	**2008–09**	**2009–10**	**2008–09**
प्रारंभिक शेष	1.20	7.90	371.81	41.51	104.64	19.51	0	0
परिवर्धन	67.13	1.20	198.46	330.29	148.96	85.12	284.17	0
उपयोग	1.20	7.90	(2.46)	0	(3.93)	0	0	0
रिवर्सल	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतशेष	67.13	1.20	567.81	371.81	249.67	104.64	284.17	0

टिप्पणी : **1.** संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

2. सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

3. डीपीई परिपत्र सं. 2/70/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) के अनुसार 284.17 लाख रु. जनवरी, 07 से मार्च, 10 तक की अवधि के लिए पेंशन प्रावधान के रूप में रखे गए है।

19. कॉरपोरेशन ने समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान की है जो कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच का अंतर होता है और जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और भारतीय चार्टर्ड (सनदी) लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ले.मा.22)–आय पर करों के लेखाकरण के अनुपालन में एक अवधि अथवा अधिक अवधि (यों) में रिवर्सल के योग्य है। 31.03.2010 को आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक और समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्ति निम्नलिखितानुसार है :–

(लाख रु. में)

निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर देयता	**31 मार्च 2010 को**	**31 मार्च 2009 को**
खाता बहियों और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आस्तियों के ह्रासित मूल्य के बीच अंतर	308.47	283.62
जोड़	**308.47**	**283.62**
निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर आस्ति		
आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आस्थगित राजस्व व्यय का अंतर		
संपत्तियों पर हानि	4.65	2.97
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	23.23	0.41
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	374.48	93.54
जोड़	**402.36**	**96.92**
शुद्ध आस्थगित कर देयता	**(93.89)**	**186.70**

20. लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित अचल केटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अचल केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है। बहरहाल, आईआरसीटीसी और केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों के बीच उनके संबंध में कोई लिखित संविदा मौजूद नहीं है।

    यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। भारतीय रेल द्वारा निर्धारित पुरानी लाइसेंस या लाइसेंसी से वास्तव में प्राप्त राशि, जो भी अधिक हो के आधार पर कॉरपोरेशन ने ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों के संबंध में लेखाकरण मानक (ले.मा.9) के अनुसार आय की पहचान की है :–

21. रेलनीर संयंत्रों के अलावा रेल भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टाधृति सुधार के रूप में लेखा में दिया गया है और 10 वर्ष की अवधि से अधिक तक मूल्यह्रासित किया गया है।

22. आईआरसीटीसी ने नांगलोई और दानापुर रेलनीर संयंत्र की स्थापना के लिए पट्टे के आधार पर रेलवे से भूमि ली है, जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार पट्टे की अधिकतम अवधि 35 वर्ष की हो सकती है जिसका 35 वर्ष की अवधि से आगे नवीकरण किया जा सकता है। नांगलोई और दानापुर में रेलनीर संयंत्रों के भवनों पर मूल्यह्रास निरन्तर अपनाई जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी लाइन पर प्रदान किया गया है। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी को दी गई ऐसी भूमि की अधिकतम पट्टा अवधि की पुष्टि करने के लिए संबंधित रेलवे को लिखा है और जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

23. वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए मोबाइल पैन्ट्रीकारों के संबंध में 3,000 लाख रु. (पिछले वर्ष 3.000 लाख रु.) कर्षण प्रभार के रूप में प्रदान किए गए हैं।

24. रेल मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2006 के पत्र सं.2006/एलएमबी/09/03 के द्वारा निदेश दिया है कि केटरिंग तथा वेंडिंग यूनिटों के लिए जल प्रभारों का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जल प्रभार के लिए कोई मांग रेल मंत्रालय अथवा जोनल रेलों से प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए जल प्रभार का प्रावधान कल्पित आधार पर किया जाता है जैसीकि जोनल रेलों द्वारा बिक्री के कुल कारोबार के 0.1 प्रतिशत की दर से अपनाई गई पद्धति थी।

    उन विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए बिजली प्रभारों के लिए प्रावधान, जहां बिल संबंधित रेलों से प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां इसकी व्यवस्था टर्नओवर के 2.5 प्रतिशत के आधार पर की जा रही है।

25. **खंडवार सूचना (ले.मा.–17):**

    कॉरपोरेशन ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में व्यक्त किया है। खंड की पहचान प्रदान की गयी सेवाओं के स्वरूप, संगठन के ढाँचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है।

    कॉरपोरेशन के परिचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने से संबंधित है :

    - लाइसेंसधारक खानपान
    - विभागीय खानपान
    - रेलनीर
    - पर्यटन
    - इंटरनेट टिकटिंग

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

लाइसेंस प्रदान करने के मामले में उपयोगकर्त्ता प्रभार और सेवा प्रभार भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता हैं, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है जिनकी अलग–अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार सूचना (लाख रु. में)

विवरण	लाइसेंसधारक केटरिंग		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय केटरिंग		जोड़	
	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09
राजस्व												
आय	35,163.33	32,078.19	16.3	6.71	12289.26	8,261.19	4,338.07	2681.99	201.12	217.11	52008.08	43245.19
बिक्री (उत्पाद भुल्क और बिक्रीकर छोड़कर)			2,227.01	1278.47					14,504.54	13,558.09	16731.55	14836.56
अंतर–खंडवार बिक्री			1374.56	1081.11							1374.56	1081.11
रेलयात्री निवास और रेलवे होटल							134.47	111.59			134.47	111.59
बिक्री/आय (बेडरोल एवं सफाई)	1,780.75	2,405.68							0	117.74	1780.75	2523.42
कुल राजस्व	**36,944.08**	**34,483.87**	**2,243.31**	**1,285.18**	**12,289.26**	**8,261.19**	**4,472.54**	**2,793.58**	**14,705.66**	**13,892.94**	**70,654.85**	**60,716.76**
खण्डवार परिणाम	**6,481.01**	**6,921.78**	**897.33**	**135.31**	**8,391.94**	**4,689.31**	**-281.20**	**-197.64**	**-7,474.11**	**-5,497.88**	**8,014.98**	**6,050.88**
अनाबंटित कॉरपोरेट आय												
अनाबंटित कॉरपोरेट व्यय		-										
संचालन लाभ	**6,481.01**	**6,921.78**	**897.33**	**135.31**	**8,391.94**	**4,689.31**	**-281.20**	**-197.64**	**-7,474.11**	**-5,497.88**	**8,014.98**	**6,050.88**
ब्याज आय			0								1541.78	1159.93
आयकर (आस्थगित कर/एफबीटी शामिल है)											3170.74	2734.49
साधारण कार्य–कलापों से लाभ	**6,481.01**	**6,921.78**	**897.33**	**135.31**	**8,391.94**	**4,689.31**	**-281.20**	**-197.64**	**-7,474.11**	**-5,497.88**	**6,386.02**	**4,476.32**
पूर्व अवधि लाभ (–)/व्यय	0	-187.43								0.85	0	-186.58
बट्टे खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अ ोध्य एवं संदिग्ध ऋ ण	49.59	0	8.1	0	9.44	4.05					67.13	4.05
बेची गई परिसंपत्तियों पर हानि	5.89	5.96	0.18	-0.01	6.41	1.81			1.19	0.99	13.67	8.75
पूर्व अविध के लिए प्रदत्ज्ञा आयकर											0	0
शुद्ध लाभ	**6,425.53**	**7,103.25**	**889.05**	**135.30**	**8,376.09**	**4,683.45**	**-281.20**	**-197.64**	**-7,475.30**	**-5,499.72**	**6,305.22**	**4,650.10**
अन्य सूचना												
खंडवार परिसंपत्तियाँ	44,554.00	40,399.99	2881.87	2418.63	11885.43	8,868.87	6219.64	1410.08	-6779.60	-2679.93	58,761.34	50417.64
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसंपत्तियाँ		-									10,927.71	7061.56
जोड़ परिसपत्तियाँ	**44,554.00**	**40,399.99**	**2,881.87**	**2,418.63**	**11,885.43**	**8,868.87**	**6,219.64**	**1,410.08**	**-6,779.60**	**-2,679.93**	**69,689.05**	**57,479.20**
खंडवार देयताएँ	34113.4	30,582.10	526.06	228.19	3077.53	5,418.05	705.5	517.96	4516.6	2064.79	42939.09	38811.09
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएँ		-									10,474.31	7035.60
जोड़ देयताएँ	**34113.4**	**30,582.10**	**526.06**	**228.19**	**3077.53**	**5,418.05**	**705.5**	**517.96**	**4516.6**	**2064.79**	**53413.40**	**45846.69**
पूंजीगत खर्च	336.95	348.15	275.39	427.94	386.78	610.73	3809.57	105	331.23	52.83	5139.92	1544.65
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च												
जोड़ कॉरपोरेट खर्च	**336.95**	**348.15**	**275.39**	**427.94**	**386.78**	**610.73**	**3809.57**	**105**	**331.23**	**52.83**	**5139.92**	**1544.65**
मूल्यह्रास	260.98	317.12	158.24	101.42	641.7	539.65	59.86	20	133.95	32.17	1254.73	1010.36
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यह्रास											0	0
जोड़ मूल्यह्रास	**260.98**	**317.12**	**158.24**	**101.42**	**641.7**	**539.65**	**59.86**	**20**	**133.95**	**32.17**	**1254.73**	**1010.36**

टिप्पणी : 1. विभागीय खानपान जिसमें गैर–रेलवे केटरिंग शामिल हैं।
2. अंतर–खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।

26. प्रतिशेयर आय

प्रति शेयर आय (मूल और कम की गई) के परिकलन के लिए माने गए घटक निम्नलिखितानुसार हैं :–

(लाख रु.में)

	2009–10	2008–09
गणक न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त शुद्ध लाभ (लाख रु. में)	6305.22	4650.11
हर (डिनोमिनेटर) के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या लाख में)	200	200
प्रतिशेयर आय–मूल (रु. में)	31.53	23.25
प्रतिशेयर आय–कम की गई (रु. में)	31.53	23.25
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु. में)	10.00	10.00

27. निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित करार अभी निष्पादित किए जाने है :

बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 7वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय परिसर।

नांगलोई में स्थित रेलनीर संयंत्र में सौर तालाब (सोलर पोंड) के लिए 21,00 वर्ग मीटर की भूमि।

निम्नलिखित मामलों में लीज समाप्त हो गई है और उनका नवीकरण किया जाना हैः–

नांगलोई स्थित रेलनीर संयंत्र में 5000 वर्ग मीटर भूमि की लीज 23.05.2003 को समाप्त हो गई।

(क) पटना में 31.03.2008 को 2300 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान।

28. 2008–09 के दौरान, आईआरसीटीसी ने पैन इंडिया लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के 'रायल इंडियन रेल टुअरर्स लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली संयुक्त उपक्रम की कंपनी बनाने के लिए मैसर्स काक्स एण्ड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ करार किया। इस गाड़ी का वाणिज्यिक परिचालन 6 मार्च, 2010 से प्रारंभ हुआ। उक्त गाड़ी की कुल कीमत 5046.57 लाख है। पर्यटन मंत्री ने 1237.00 लाख रु. की पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत की है। इस प्रकार आईआरसीटीसी के ,खातों में गाड़ी की पूंजीगत कीमत 3809.57 लाख रु. रही है (कुल कीमत में से सब्सिडी की पूंजी घटाने के बाद) आरआईआरटीएल के साथ लीज का करार शुरू नहीं होने और वर्ष 2009–10 के दौरान मुख्यतः फैम ट्रिप के लिए कुछ दिनों के परिचालन के कारण एडवांस लीज रेंटल से कोई आय संविभाजित नहीं की गई है।

29. रेल मंत्रालय ने दिनांक 21.07.2010 के पत्र सं.2009 / टीजी–III / 600 / 25 के अनुसार खानपान नीति–2010 जारी की है जो निम्नानुसार अनुबंध करती है :

1. रेलवे सभी चल खानपान सेवाओं जिसमें बेस किचन भी शामिल है का प्रबंधन क्रमिक रूप से और विभागीय खानपान को चरणबद्ध तरीके से लेगी।

2. इस नीति के अनुसार आईआरसीटीसी पर मुख्यतः फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड इकाइयों को चलाने का दायित्व रहेगा।

इसके अलावा, रेल मंत्री ने 2010–11 के वित्त वर्ष के बजट भाषण में आईआरसीटीसी के जरिए ई–टिकट बुक कराने के प्रभार में वातानुकूलित श्रेणी में 40 रू. से घटाकर 20 रू. और शयनयान श्रेणी में 20 रू. से घटाकर 10रू. करने की घोषणा की है। इससे इंटरनेट टिकटिंग के राजस्व में 32 करोड़ रू॰ की कमी का अनुमानित वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

रेल मंत्रालय के उक्त निर्णयों से वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

30. जैसा कि पिछले वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाव दिया गया था, काल सेंटरों की आमदनी और खर्च का विवरण अलग–अलग रखने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली बनाई गयी है।

31. पिछले वर्ष के आंकड़ो को पुनः व्यवस्थित/पुर्नःवर्गीकृत और सुधारा गया है ताकि आवश्यकता अनुसार इस वर्ष के आंकडो के साथ उनकी तुलना की जा सके।

32. I से XXV अनुसूचियाँ तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा का अभिन्न भाग बनती हैं।

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्त**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
एम. नं. 9604			
फर्म पंजी. नं. 000229एन			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 सितम्बर, 2010

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन–पत्र सार और कंपनी के कारोबार की रूपरेखा

कारोबार की रूपरेखा

I पंजीकरण ब्यौरा

पंजीकरण संख्या	: 101707	राज्य कोड	: 55
तुलन–पत्र की तारीख	: 03/31/2010		

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रु. में)

पब्लिक इश्यू	**राइट इश्यू**
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	**निजी नियोजन**
शून्य	शून्य

III निधियों के जुटाने और नियोजन की स्थिति (राशि हजार रु. में)

कुल देयता	**कुल परिसंपत्तियाँ**
6,968,906	6,968,906

i) निधियों का स्रोत (राशि हजार रु. में)

प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	आस्थगित देयता
200,000	1,427,566	0
शेयर उपयोग		
शून्य		
प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	
शून्य	शून्य	

ii) निधियों का उपयोग (राशि हजार रु. में)

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ		निवेश	शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ
807,016		25020	9,389
शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	विविध व्यय	संचयी घाटा	पूंजीगत चालू कार्य
710,142	शून्य	शून्य	75,999

IV कंपनी का कार्य–निष्पादन (राशि हजार रु. में)

अन्य आय सहित कुल कारोबार (टर्नओवर)	कुल व्यय
7,219,663	6,272,067
कर पूर्व लाभ/हानि	करोपरांत लाभ/हानि
947,596	630,522
प्रति शेयर आय	लाभांश दर (करोपरांत शुद्ध लाभ का %)
31.53	20.00%

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों के नाम

मद कोड सं.	लाइसेंसधारक केटरिंग
सेवाएं	इंटरनेट टिकटिंग
	रेल नीर
	पर्यटन
	विभागीय खानपान कारोबार

हस्ता./–	हस्ता./–
राकेश कुमार टंडन	**राकेश गोगिया**
प्रबंध निदेशक	**कंपनी सचिव**

सत्यमेव जयते

गोपनीय
सं./ No.RM/IRCTC/A/CS/2009-10/921

कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

OFFICE OF THE
PRINICIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक /Date : 21 सितंबर 2010

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली।

विषय : **31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

मैं इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2009-2010 की समाप्ति हेतु कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न यथोपरि

भवदीय
एम. के. बिश्वास
(एम. के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, NEW DELHI-110002
e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in
Phone : 2329227, Fax : 23239211

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 7 सितम्बर, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंम्भिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डो की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसी कोई महत्वपूर्ण विषमता मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

एम.के. बिश्वास

(एम.के. बिश्वास)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड–III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 सितम्बर, 2010

दस वर्ष की वित्तीय उपलब्धियां

(रू. करोड़ में)

पृ. सं.	विवरण	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	0.22	9.85	73.61	69.59	127.09	267.98	433.54	527.66	618.77	721.97
2	व्यय (स्टाक में वृद्धि/कमी सहित)	0.11	8.56	63.57	60.14	115.55	232.96	398.22	486.12	536.68	614.63
3	परिचालनिक मार्जिन	0.11	1.29	10.04	9.45	11.54	35.02	35.32	41.54	82.09	107.34
4	ब्याज खर्च	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03
5	मूल्यह्रास	0	0.03	0.90	3.03	3.61	3.39	5.32	8.28	10.10	12.55
6	कर पूर्व लाभ	0.10	1.25	9.14	6.42	7.93	31.63	30.00	33.26	73.85	94.76
7	कर बाद लाभ	0.07	0.83	5.55	4.12	5.21	19.78	20.23	20.75	46.50	63.05
8	लाभांश	0	0.20	1.20	1.00	1.00	4.00	4.00	4.15	9.31	12.61
9	इतर परियोजनाएं आरक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	सामान्य आरक्षित	0.07	0.20	2.50	2.50	2.50	14.00	12.00	16.00	35.00	45.00
11	अन्य आरक्षित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	आरक्षित एवं सरप्लस	0.22	0.85	5.02	8.01	12.10	27.32	42.96	58.85	94.46	142.76
13	शुद्ध नियत परिसंपत्ति (ग्रास ब्लाक)	0.03	0.36	4.11	22.80	25.33	31.01	41.61	61.38	76.36	126.84
14	वस्तु सूची	0	0	0	1.74	3.73	7.20	5.97	5.73	5.19	7.79
15	विदेश विनिमय आय	0	0	0	0	0	0	0	0.45	30.85	13.48
16	शेयर पूंजी	5.23	20.23	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
17	पूंजी नियोजित	5.34	20.33	14.18	27.76	31.75	48.92	63.19	80.53	103.87	151.72
18	सरकारी निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नेट वर्थ	5.34	20.97	24.98	27.47	31.79	47.24	62.96	78.85	114.46	162.76
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ	1.87	6.15	64.46	23.13	24.98	64.66	47.48	41.30	71.10	62.46
21	नियोजित पूंजी पर परिचालनिक मार्जिन	2.06	6.35	70.80	34.04	36.35	71.59	55.89	51.58	79.03	70.75
22	शेयर पूंजी पर कर के बाद लाभ	1.34	4.10	27.75	20.60	26.05	98.90	101.15	103.75	232.50	315.25
23	आय पर व्यय	50.00	86.90	86.36	86.42	90.92	86.93	91.85	92.13	86.73	85.13
24	कर्मचारियों की संख्या	2	19	45	1318	2146	5616	5246	4963	3780	2645
25	प्रति कर्मचारी आय	0.11	0.52	1.64	0.05	0.06	0.05	0.08	0.11	0.16	0.27
26	प्रति कर्मचारी विदेश विनिमय अर्जन	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.01	0.01
27	वर्तमान अनुपात	13.98	2.59	1.22	1.13	1.16	1.14	1.13	1.12	1.13	1.13
28	डेब्ट/इक्विटी अनुपात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50	2.50

माननीय रेलमंत्री कु. ममता बनर्जी को वर्ष 2009-10 के लिए 4 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश का चैक देते हुए श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी। चित्र में उनके साथ दिखाई दे रहे हैं तत्कालीन अध्यक्ष रेलवे बोर्ड श्री एस.एस. खुराना, श्री विवेक सहाय, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड

Presentation of Cheque for interim dividend of Rs. 4 Crore for the year 2009-10 by Shri Rakesh Kumar Tandon, Managing Director/IRCTC to Hon'ble Minister for Railways, Km. Mamata Banerjee. Also seen in the picture are Shri S.S.Khurana, then CRB, Shri Vivek Sahai, Member Traffic, Railway Board etc.

ग्राहक केन्द्रित संस्कृति के सृजन एवं संगठन में उपयोगकर्ता केन्द्रित उत्कृष्ट पद्धति अपनाए जाने के लिए 26 मार्च, 2010 को वाई.एम.सी.ए., जयसिंह रोड, नई दिल्ली के ऑडीटोरियम में स्टेकहोल्डरों के साथ आयोजित बैठक का दृश्य।

A meet with all the stakeholders was organized on 26th March, 2010 at Auditorium Hall, YMCA, Jai Singh Road, New Delhi to brainstorm on building customer centric culture and adopting best practices to bring user focus within the organization.

इंटरनेट टिकटिंग सेवाओं के लिए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से 'दि इंडिया प्राइड अवार्ड गोल्ड' का पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक/आई.आर.सी.टी.सी.।

Shri Rakesh Kumar Tandon, Managing Director /IRCTC receiving 'The India Pride Award-Gold' from Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Minister of Finance.

डॉ. मसाकी इमाई, जापान के क्वालिटी गुरु से भोजन संरक्षा एवं गुणवत्ता के अर्थशास्त्र पर पहल के लिए क्यूसीआई–डीएल शाह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक, श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं) एवं श्री प्रेम नारायण, समूह महाप्रबंधक (पीएण्डक्यू)।

Shri Rakesh Kumar Tandon, Managing Director, Shri Vinod Asthana, Director(Catering Services) and Shri Prem Narayan, Group General Manager(P&Q) receiving QCI DL Shah National Award on Economics of Quality – for initiatives on food safety and Economics of Quality" from Dr. Masaki Imai, Quality Guru of Japan.

मध्यम श्रेणी के सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के तहत श्री सलमान खुर्शीद, निगम मामलों के माननीय राज्यमंत्री से लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार-2009 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं निदेशक वित्त श्री विश्वरंजन गुप्त।

Shri Rakesh Kumar Tandon, Managing Director /IRCTC receiving ICWAI National Quality Award for Excellence in Cost Management – 2009: First Prize under public service sector medium category from Shri Salman Khurshid, Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs in presence of Shri V.R.Gupta, Director (Finance)/IRCTC

सीएनबीसी आवाज ट्रावेल अवार्ड-2010 के लिए महाराजा एक्सप्रेस को सर्वोत्तम लग्जरी ट्रेन का पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर माननीय केन्द्रीय पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा को महाराजा एक्सप्रेस का स्कार्फ प्रदान करते हुए आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक श्री राकेश कुमार टंडन।

Sh. Rakesh Kumar Tandon, Managng Director/IRCTC presenting Maharajas' Express Scarf to Kumari Selja, Hon'ble Minister for Tourism on the occasion of presentation of CNBC Awaaj Travel Award-2010 for the Best Luxury Train to the Maharajas' Express.

आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट : www.irctc.co.in

IRCTC Internet Ticketing Website : www.irctc.co.in

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

Printed by : Vijayalakshmi Printing Works Pvt. Ltd.